

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2023

विषय:- उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 के अन्तर्गत परिवहन विभाग से सम्बन्धित प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान वैश्विक पटल पर अधिकांश राष्ट्र डी-कार्बोनाइजेशन की चुनौतियों का सामना अपेक्षाकृत अधिक सतर्कता पूर्वक कर रहे हैं। जीवशम ईंधन की तेजी से होती हुयी कमी तथा ईंधन के मूल्य में उत्तरोत्तर होती वृद्धि एवं वाहनों की संख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न गम्भीर पर्यावरण-प्रदूषण के दृष्टिगत अपेक्षाकृत सस्ते एवं प्रदूषण मुक्त परिवहन का अंगीकरण आवश्यक हो गया है। उत्तर प्रदेश अपनी परिवहन प्रणाली, जो देश की सबसे बड़ी परिवहन प्रणालियों में से एक है, को प्रदूषण रहित करने हेतु कटिबद्ध है। देश के त्वरित गति से प्रगति करते हुए अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2- उपरोक्त प्रयोजनों के दृष्टिगत प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गयी है। औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-49/2022/3243/77-6-2022-4(एम)/2022 दिनांक 28.12.2022 द्वारा "उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022" प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-20/2023/1048/77-6-2023-4(एम)/2022, दिनांक 13.04.2023 द्वारा दिशा- निर्देश एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मानक संचालन प्रक्रिया निर्गत करते हुए समस्त विभागों से उक्त नीति के प्राविधानों के अनुपालन के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया है। औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-1358/77-6-2023-4(एम)/2022, दिनांक 13.04.2023 द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से उक्त नीति के प्रस्तर- 9.4.1(11), 9.4.2(4), 9.5.1(11) एवं 9.6.1(1) जो क्रमशः बर्थिंग टर्मिनल्स, इनलैण्ड वेसेल्स, कार्गो टर्मिनल्स एवं ट्रर्कर्स पार्क योजना से संबंधित है, के अधीन प्रोत्साहन हेतु आवेदनों की प्रक्रिया तथा क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- अतः औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की उक्त नीति-2022 एवं तत्क्रम में निर्गत उपरोक्त शासनादेशों के अनुक्रम में परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश सं0-12/2023/446/तीस-4-2023-30-4099(99)/145-2021, दिनांक 14.04.2023 द्वारा पूर्व में निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को संशोधित/अवक्रमित करते हुये भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय रेलवे, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स एवं इन्वेस्ट यू0पी0 से प्राप्त इनपुट्स के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि “उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2022” के अन्तर्गत बर्थिंग टर्मिनल्स, इन्लैण्ड वेसेल्स, कार्गो टर्मिनल्स तथा ट्रर्कर्स पार्क के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ परिवहन विभाग से सम्बन्धित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नवत् निर्गत की जा रही है:-

1. उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 (जिसे आगे “नई नीति, 2022” नाम से संबोधित किया जायेगा) अधिसूचित होने की तिथि दिनांक 28-12-2022 से 5 वर्ष यानी 27 दिसंबर 2027 तक या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी संशोधन या निरसन तक लागू होगी।
2. उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत निस्तारित किया जाएगा।
  - 2.1 उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के अन्तर्गत जिन परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किया जा चुका है, वह स्विच/माइग्रेट नहीं कर सकती हैं।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2.2 उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के अन्तर्गत विचाराधीन प्रस्तावों (28.12.2022 से पहले प्रस्तुत प्रस्ताव) में निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे:-

(क) उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के तहत प्रोत्साहन जारी रखना

अथवा

(ख) नई नीति(2022) की अधिसूचना की तारीख 28.12.2022 से एक वर्ष के भीतर नई नीति के अंतर्गत माइग्रेट/आवेदन करने का एक बार विकल्प उपलब्ध रहेगा।

3. नई नीति (2022) का उद्देश्य एकीकृत लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना, उत्पाद की परिवहन लागत/समय को कम करना तथा परिवहन के माध्यमों को जोड़ना, राज्यों और देशों से आयात/निर्यात हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ ढांचा विकसित करना है।

4. बर्थिंग टर्मिनल, इन्लैण्ड वैसेल, कार्गो टर्मिनल तथा ट्रकर्स पार्क परियोजनाओं के लिए प्रभावी तिथि, प्रभावी अवधि, कट-ऑफ तिथि, पूंजी निवेश, अपात्र पूंजी निवेश, पात्र निवेश अवधि, पात्र पूंजी निवेश, विकासकर्ता/संचालक, प्रोत्साहन आदि संबंधी परियोजनावार प्राविधान यूपी-वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 में विहित व्यवस्था के अनुरूप निम्नवत् होंगे-

4.1 अन्तर्देशीय जलमार्ग सुविधा (Inland Waterways Facility)

4.1.1 बर्थिंग टर्मिनल

- (1) प्रभावी तिथि का अभिप्राय इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से है।
- (2) प्रभावी अवधि का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उस अवधि (05 वर्ष) तक, जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी अथवा जब तक प्रदेश सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा निरसन नहीं किया जाता है।
- (3) कट-ऑफ तिथि का अभिप्राय नीति की प्रभावी तिथि अथवा उसके उपरांत निवेश प्रारंभ होने की स्थिति में परियोजना का निवेश प्रारंभ होने की तिथि से है। यदि निवेश प्रभावी

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

तिथि से पूर्व प्रारंभ होता है, तो कट-ऑफ तिथि, नीति की प्रभावी तिथि होगी। तथापि, यदि प्रभावी तिथि से पूर्व केवल भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो जिस तिथि को पूंजी निवेश के अंतर्गत पारिभाषित (भूमि को छोड़कर) किसी भी अन्य शीर्ष के अधीन प्रथम निवेश प्रभावी तिथि को अथवा उसके उपरांत किया जाता है, उसे कट-ऑफ तिथि माना जाएगा। यद्यपि कट-ऑफ तिथि इस नीति की प्रभावी अवधि के उपरांत नहीं हो सकती है।

- (4) बर्थिंग टर्मिनल का अभिप्राय राज्य में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के किनारे सामान्य उपयोगकर्ता सुविधा (गैर-कैप्टिव उपयोग) के रूप में स्थापित किए गए न्यूनतम 5,000 टन क्षमता के टर्मिनल से है, जिसमें रु 20 करोड़ का न्यूनतम पूंजी निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) किया गया हो तथा कार्गो-अंतर्देशीय पोतों को अनलोड अथवा लोड करने की सुविधा हो।
- (5) पात्र बर्थिंग टर्मिनल में पूंजी निवेश का अभिप्राय ऐसे बर्थिंग टर्मिनल के विकास की लागत से है, जिसमें प्रदेश में विकसित टर्मिनल के संचालन के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास में निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) सहित भवन, हैंडलिंग उपकरण, संबंधित सुविधाओं, उपकरणों व टूल्स तथा अन्य अचल परिसंपत्तियों में निवेश सम्मिलित है।
- (6) अपात्र पूंजी निवेश में कार्यशील पूंजी गुडविल प्रारंभिक एवं पूर्व-संचालन व्यय पूंजीकृत ब्याज प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी की अधिप्राप्ति हेतु पुस्तकों में पूंजीकृत व्यय, परामर्श शुल्क, रायल्टीय डिजाइन व ड्राइंग पेटेंट लाइसेंस, साफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार तथा कैप्टिव उपयोग को छोड़कर विद्युत उत्पादन सम्मिलित हैं। पूंजी निवेश की गणना के लिए उक्त प्रकार के शीर्षों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (7) पात्र निवेश अवधि (EIP) का अभिप्राय नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना के विकास हेतु निवेश पूर्ण करने की अवधि से है। पात्र निवेश अवधि, निवेश की प्रथम तिथि से प्रारंभ होकर प्रभावी अवधि में 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक की अवधि होगी।
- (8) पात्र पूंजी निवेश (ECI) का अभिप्राय नीति में पारिभाषित पात्र निवेश अवधि के दौरान किए गए पूंजी निवेश से है।

(क) यदि पूंजी निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ किया गया है, तो पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत पात्र निवेश अवधि के दौरान प्रभावी तिथि के उपरांत किया जाना

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

चाहिए तथा इस प्रकार किए गए पूंजी निवेश को स्वीकार्य कुल प्रोत्साहनों को निर्धारित करने के लिए पात्र पूंजी निवेश के रूप में विचारित किया जाएगा।

(ख) तथापि, यदि भूमि में निवेश प्रभावी तिथि से पहले किया जाता है, तो भूमि में ऐसा निवेश किसी भी प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होगा, किन्तु परियोजनाओं की पात्रता निर्धारित करने हेतु लेखा-मूल्य (Book value) पर ऐसी भूमि के मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।

(9) विकासकर्ता का अभिप्राय इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना को विकसित करने के उद्देश्य से सृजित की गई प्रोपराइटरशिप, साझेदारी (Partnership) फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, ट्रस्ट, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) अथवा विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के रूप में पूंजीकृत किसी विधिक इकाई से है।

(10) संचालक का अभिप्राय किसी भी विधिक इकाई से है, जिसे इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना के परिसर को व्यवसाय संचालन के लिए पट्टे/किराए पर प्रदान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत किसी भी पात्र परियोजना को स्वीकृत लाभ/प्रोत्साहन उस परियोजना के विकासकर्ता/ संचालक को उपलब्ध होते रहेंगे। संचालक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम पट्टा/किराया अवधि आवश्यक नहीं होगी।

(11) नोडल संस्था का अभिप्राय नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को संसाधित करने तथा नीति में प्रदत्त अन्य लाभों को प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तदन्तर में शासनादेश के माध्यम से नामित संस्था से है।

(12) प्रोत्साहन

(क) राज्य सरकार आगामी राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के उत्तर प्रदेश में आच्छादित क्षेत्र में बर्थिंग टर्मिनल स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करेगी। प्रदेश सरकार ऐसी सुविधाओं के विकास के लिए एक नामित नोडल संस्था के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराएगी।

(ख) ऐसी भूमि को प्रथम चरण में अधिकतम 06 ऐसी परियोजनाओं के विकास एवं संचालन के लिए बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (Build Own Operate Transfer-BOOT) मॉडल पर अधिकतम 30 वर्ष की अवधि हेतु सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर प्रदान किया जाएगा। ऐसे टर्मिनलों के विकासकर्ताओं के चयन के लिए निविदा मानदंड न्यूनतम रियायत अवधि पर आधारित होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(ग) भूमि सहित परियोजना का स्वामित्व एवं अन्य समस्त विकसित अवस्थापना सुविधाओं को रियायती अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रदेश सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

(घ) ऐसे बर्थिंग टर्मिनल के विकासकर्ताओं को इस नीति में पारिभाषित इस प्रकार के टर्मिनल के विकास हेतु पात्र पूंजी निवेश पर रू0 15 करोड़ की सीमा के अधीन 20 प्रतिशत की दर से पूंजीगत उपादान प्रदान किया जाएगा। इस उपादान को परियोजना के पूर्ण होने पर 03 वार्षिक किस्तों में प्रदान किया जाएगा।

(ङ) अवस्थापना विकास हेतु ऐसी सुविधाओं को ससमय नियोजन, अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए प्रदेश के पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा।

नोट:-

1. भूमि उपलब्ध कराने के लिए स्थानों का निर्धारण इस नीति के अंतर्गत गठित प्राधिकृत समिति (EC) द्वारा हितधारक परामर्श के माध्यम से नामित नोडल संस्था की संस्तुति पर किया जाएगा।
2. इस नीति के अंतर्गत गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) द्वारा नामित नोडल संस्था की संस्तुति पर परियोजनाओं की अधिकतम संख्या में वृद्धि की जा सकती है।
3. प्रदेश में अन्य वाटरवेज पर बर्थिंग टर्मिनल को विकसित करने तथा प्रोत्साहन प्रदान करने के निर्णय हेतु उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) अधिकृत होगी।

#### 4.1.2 अंतर्देशीय पोत सुविधाएं (InlandVessel)

- (1) अंतर्देशीय पोत (InlandVessel) का अभिप्राय अंतर्देशीय पोत अधिनियम-2021 (Inland Vessel Act 2021) के अंतर्गत प्रदेश में आगामी राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के आच्छादित क्षेत्र में संचालन हेतु राज्य में पंजीकृत 'पोत' से है, जिसकी न्यूनतम क्षमता 500 टन हो।
- (2) प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में संचालन हेतु क्रय किए गए उपरिवर्णित परिभाषानुसार अंतर्देशीय पोतों के क्रय हेतु विनिर्माणकर्ताओं के माध्यम से क्रय उपादान प्रदान किया जाएगा। यह उपादान वास्तविक क्रय लागत के 25 प्रतिशत की दर से प्रति पोत रू0 5 करोड़ की अधिकतम सीमा के अधीन प्रदान किया जाएगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) नीति की प्रभावी अवधि के दौरान क्रय किए गए प्रथम 10 अंतर्देशीय पोतों को प्रति इकाई अधिकतम 04 पोतों के क्रय की सीमा के अधीन उपादान प्रदान किया जाएगा।
- (4) नोडल संस्था का अभिप्राय नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को संसाधित करने तथा नीति में प्रदत्त अन्य लाभों को प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तदन्तर में शासनादेश के माध्यम से नामित संस्था से है।

नोट- इस नीति के अंतर्गत गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) द्वारा नामित नोडल संस्था की संस्तुति पर परियोजनाओं की अधिकतम संख्या में वृद्धि की जा सकती है। एचएलईसी द्वारा इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में आगामी अन्य जलमार्गों पर अंतर्देशीय पोतों को सम्मिलित करने पर भी निर्णय किया जा सकता है।

#### 4.2 कार्गो टर्मिनल (Cargo Terminals)

- (1) प्रभावी तिथि का अभिप्राय इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से है।
- (2) प्रभावी अवधि का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उस अवधि (05 वर्ष) तक, जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी अथवा जब तक प्रदेश सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा निरसन नहीं किया जाता है।
- (3) कट-ऑफ तिथि का अभिप्राय नीति की प्रभावी तिथि अथवा उसके उपरांत निवेश प्रारंभ होने की स्थिति में परियोजना का निवेश प्रारंभ होने की तिथि से है। यदि निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ होता है, तो कट-ऑफ तिथि, नीति की प्रभावी तिथि होगी। तथापि, यदि प्रभावी तिथि से पूर्व केवल भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो जिस तिथि को पूंजी निवेश के अंतर्गत पारिभाषित (भूमि को छोड़कर) किसी भी अन्य मद के अधीन प्रथम निवेश, प्रभावी तिथि को अथवा उसके उपरांत किया जाता है, उसे कट-ऑफ तिथि माना जाएगा। यद्यपि कट-ऑफ तिथि इस नीति की प्रभावी अवधि के उपरांत नहीं हो सकती है।
- (4) पात्र कार्गो टर्मिनल परियोजना का अभिप्राय निजी साइडिंग अथवा फ्रेट टर्मिनल सहित 02 प्रकार की परियोजनाओं से है, जो निम्नानुसार हैं:-

- (i) **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाएं:** इस नीति की प्रभावी अवधि के दौरान प्रदेश में स्थापित केवल ऐसी ग्रीनफील्ड कार्गो टर्मिनल (निजी साइडिंग अथवा निजी फ्रेट टर्मिनल सहित) परियोजनाएं, जो भारत सरकार के शासनादेश संख्या 2021/टीसी(एफएम)/18/23, दिनांक 15.12.2021 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निर्गत गति शक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) योजना-2021 के अंतर्गत अनुमोदित हों।

(ii) पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं से भिन्न अन्य परियोजनाएं : इस नीति की प्रभावी अवधि के दौरान प्रदेश में न्यूनतम 10 एकड़ भूमि क्षेत्र में न्यूनतम ₹20 करोड़ के पूंजी निवेश (भूमि की लागत को छोड़ कर) से स्थापित केवल ग्रीनफील्ड कार्गो टर्मिनल (निजी साइडिंग अथवा निजी फ्रेट टर्मिनल सहित) परियोजनाएं, जिनको सामान्य उपयोगकर्ता सुविधा (कैप्टिव उपयोग हेतु नहीं) के रूप में विकसित किया गया हो।

(5) पूंजी निवेश: गति शक्ति योजना के अंतर्गत स्वीकृत तथा जीसीटी अनुमोदित परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं हेतु पूंजी निवेश का अभिप्राय भारत सरकार की जीसीटी योजना-2021 के अंतर्गत अनुमोदित ग्रीनफील्ड कार्गो टर्मिनल के विकास की लागत, जीसीटी संचालक अथवा किसी अन्य विकासकर्ता द्वारा सर्विंग स्टेशन पर टेक-ऑफ प्वाइंट से अग्रेतर, भूमि की लागत को छोड़कर, लूप लाइन के विकास की लागत एवं भारतीय रेलवे द्वारा वहन की जाने वाली अन्य पूंजीगत लागत (भारत सरकार की गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) योजना-2021 के अनुच्छेद 5 के अनुसार) अथवा केंद्र/राज्य सरकार के विभाग/ संस्था द्वारा वहन की जाने वाली पूंजीगत लागत से है।

(6) अपात्र पूंजी निवेश में कार्यशील पूंजी गुडविल प्रारंभिक एवं पूर्व संचालन व्यय पूंजीकृत ब्याज प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी की अधिप्राप्ति हेतु पुस्तकों में पूंजीकृत व्यय, परामर्श शुल्क, रायल्टी डिजाइन व ड्राइंग पेटेंट, लाइसेंस, साफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार तथा कैप्टिव उपयोग का छोड़कर विद्युत उत्पादन सम्मिलित हैं। पूंजी निवेश की गणना के लिए उक्त प्रकार के मदों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(7) पात्र निवेश अवधि (EIP) का अभिप्राय नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना के विकास हेतु निवेश पूर्ण करने की अवधि से है। पात्र निवेश अवधि, निवेश की प्रथम तिथि से प्रारंभ होकर प्रभावी अवधि में 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक की अवधि होगी।

(8) पात्र पूंजी निवेश (ECI) का अभिप्राय नीति में पारिभाषित पात्र निवेश अवधि के दौरान किए गए पूंजी निवेश से है।

(क) यदि पूंजी निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ किया गया है, तो पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत पात्र निवेश अवधि के दौरान प्रभावी तिथि के उपरांत किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



जाना चाहिए तथा इस प्रकार किए गए पूंजी निवेश को स्वीकार्य कुल प्रोत्साहनों को निर्धारित करने के लिए पात्र पूंजी निवेश के रूप में विचारित किया जाएगा।

- (ख) तथापि, यदि भूमि में निवेश प्रभावी तिथि से पहले किया जाता है, तो भूमि में ऐसा निवेश किसी भी प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होगा, किन्तु परियोजनाओं की पात्रता निर्धारित करने हेतु लेखा-मूल्य (Book value) पर ऐसी भूमि के मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।
- (9) विकासकर्ता का अभिप्राय इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना को विकसित करने के उद्देश्य से सृजित की गई प्रोपराइटरशिप, साझेदारी (Partnership) फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, ट्रस्ट, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) अथवा विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के रूप में पंजीकृत किसी विधिक इकाई से है।
- (10) संचालक का अभिप्राय किसी भी विधिक इकाई से है, जिसे इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना के परिसर को व्यवसाय संचालन के लिए पट्टे/किराए पर प्रदान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत किसी भी पात्र परियोजना को स्वीकृत लाभ/प्रोत्साहन उस परियोजना के विकासकर्ता/संचालक को उपलब्ध होते रहेंगे। संचालक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम पट्टा/किराया अवधि आवश्यक नहीं होगी।
- (11) नोडल संस्था का अभिप्राय नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को संसाधित करने तथा नीति में प्रदत्त अन्य लाभों को प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तदन्तर में शासनादेश के माध्यम से नामित की गई संस्था से है।
- (12) प्रोत्साहन
- (क) प्रदेश सरकार कार्गो टर्मिनल्स हेतु नामित नोडल संस्था के माध्यम से पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल योजना-2021 के अधीन अनुमोदित जीसीटी संचालकों अथवा एक नामित नोडल संस्था के माध्यम से गैर-जीसीटी अनुमोदित कार्गो टर्मिनलों के विकासकर्ताओं को भूमि (रेलवे भूमि को छोड़कर) प्रदान करेगी।
- (ख) ऐसी भूमि को प्रथम चरण में अधिकतम 25 ऐसी परियोजनाओं के विकास एवं संचालन हेतु बिल्ड-ओन- आपरेट-ट्रांसफर (Build Own Operate Transfer BOOT) मॉडल पर अधिकतम 30 वर्षों की अवधि के लिए पीपीपी आधार पर

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रदान किया जाएगा। ऐसे टर्मिनल्स के विकासकर्ताओं के चयन हेतु निविदा मानदंड न्यूनतम रियायत अवधि पर आधारित होगा।

- (ग) भूमि एवं अन्य विकसित अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना का स्वामित्व रियायत अवधि की समाप्ति के उपरांत प्रदेश सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।
- (घ) लूप लाइन के विकास की समस्त लागत प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
- (ङ) ऐसे टर्मिनल के विकासकर्ताओं को इस नीति में पारिभाषित इस प्रकार के टर्मिनल्स के विकास हेतु पात्र पूंजी निवेश पर ₹ 15 करोड़ की सीमा के अधीन 20 प्रतिशत की दर से पूंजीगत उपादान प्रदान किया जाएगा। इस उपादान को परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात् 03 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा।
- (च) खनिजों के भण्डारण के लिए उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2018 प्रख्यापित है जिसके अन्तर्गत खनिज का भण्डारण नियमानुसार भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त कर किया जा सकता है। भण्डारण स्थल पर खनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध प्रपत्र के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। भण्डारण स्थल से खनिज की निकासी के लिए रायल्टी के पुनः भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है।
- (छ) इस प्रकार की सुविधाओं के ससमय नियोजन, अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु इनको पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा।

#### नोट

1. भूमि उपलब्ध कराने के लिए स्थानों का निर्धारण इस नीति के अंतर्गत गठित प्राधिकृत समिति (EC) द्वारा हितधारक परामर्श के माध्यम से नामित नोडल संस्था की संस्तुति पर किया जाएगा।
2. इस नीति के अंतर्गत गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) द्वारा नामित नोडल संस्था की संस्तुति पर परियोजनाओं की अधिकतम संख्या में वृद्धि की जा सकती है।

### 4.3 ट्रकर्स पार्क (Truckers Park)

- (1) प्रभावी तिथि का अभिप्राय इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (2) प्रभावी अवधि का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उस अवधि (05 वर्ष) तक, जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी अथवा जब तक प्रदेश सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा निरसन नहीं किया जाता है।
- (3) पात्र ट्रकर्स पार्क परियोजना का अभिप्राय राष्ट्रीय राजमार्गों/ एक्सप्रेसवेज/राज्य राजमार्गों अथवा अन्य प्रमुख फ्रेट मार्गों के दोनों ओर 02 किमी तक की दूरी तक न्यूनतम् 10 एकड़ भूमि पर विकसित ट्रक ले-बे (Truck lay bay) एवं पार्किंग-सह-विश्राम स्थल से है। इन पार्कों में न्यूनतम 85 प्रतिशत् स्थान पार्किंग हेतु तथा 15 प्रतिशत् स्थान विश्राम एवं वाणिज्यिक गतिविधियों तथा अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए आरक्षित होना चाहिए।
- (4) विकासकर्ता का अभिप्राय इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना को विकसित करने के उद्देश्य से सृजित की गई प्रोपराइटरशिप, साझेदारी (Partnership) फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, ट्रस्ट, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) अथवा विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के रूप में पंजीकृत किसी विधिक इकाई से है।
- (5) संचालक का अभिप्राय किसी भी विधिक इकाई से है, जिसे इस नीति में पारिभाषित पात्र परियोजना के परिसर को व्यवसाय संचालन के लिए पट्टे / किराए पर प्रदान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत किसी भी पात्र परियोजना को स्वीकृत लाभ/प्रोत्साहन उस परियोजना के विकासकर्ता/ संचालक को उपलब्ध होते रहेंगे। संचालक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम पट्टा/किराया अवधि आवश्यक नहीं होगी।
- (6) नोडल संस्था का अभिप्राय नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को संसाधित करने तथा नीति में प्रदत्त अन्य लाभों को प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तदन्तर में शासनादेश के माध्यम से नामित की गई संस्था से है।
- (7) प्रोत्साहन  
पात्र ट्रकर्स पार्क के विकासकर्ताओं को वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के पूर्व निम्नलिखित छूट/रियायतें अनुमन्य होंगी। ऐसी परियोजनाओं को प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल संस्था में पंजीकरण कराना होगा, जिस संस्था द्वारा आवेदन पत्र की प्रासंगिकता एवं पूर्णता की पुष्टि करने के उपरांत एक यूनीक आईडी निर्गत की जाएगी। इस स्तर पर इन प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट अनिवार्य नहीं होगा। तथापि, अनुवर्ती चरण में आवेदकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	शीर्षक	प्रोत्साहन
1	स्टांप ज्यूटी में छूट	<p>राज्य में ट्रार्स पार्कों को स्थापित करने हेतु 100 प्रतिशत की दर से स्टांप ज्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी।</p> <p>यह छूट भूमि के क्रय तथा प्रदेश सरकार के किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के आवंटन पर प्रदान की जाएगी। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में छूट के समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर छूट प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के अन्दर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने पर वापस कर दी जाएगी।</p>
2	भू-उपयोग परिवर्तन चार्ज में रियायत	<p>भू-उपयोग परिवर्तन चार्ज में 75 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जायेगी।</p> <p>राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकरण/संस्था में रियायत की समतुल्य राशि की बैंक गारण्टी जमा करने पर रियायत प्रदान की जायेगी, जो स्वीकार्यता अवधि के अन्दर वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने पर वापस कर दी जायेगी।</p>
3	विकास शुल्क में छूट	<p>विकास शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।</p> <p>राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकरण/संस्था में छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारण्टी जमा करने पर रियायत प्रदान की जायेगी, जो स्वीकार्यता अवधि के अन्दर वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने पर वापस कर दी जायेगी।</p>

नोट:- उक्त वर्णित छूट/रियायतें, नोडल संस्था द्वारा निर्गत की गई यूनीक आईडी के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की जाएंगी तथा विवरण नोडल संस्था को सूचित किया जाएगा।

5. नोडल अधिकारी, मूल्यांकन समिति, अधिकार प्राप्त समिति एवं उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति

5.1(i) नोडल अधिकारी: उ0प्र0 वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के प्रस्तर-10.1(ख)(2) में विहित प्रावधान के अंतर्गत बर्थिंग टर्मिनल, इन्लैण्ड वैसेल, कार्गो टर्मिनल तथा ट्रकर्स पार्क की परियोजनाओं के लिए परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। प्राप्त आवेदनों के व्यवहरण (Processing) तथा समीक्षा हेतु दिन-प्रतिदिन कार्यों में नोडल अधिकारी के सहायतार्थ अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को समन्वयक अधिकारी (Co-ordinating Officer) नामित किया जाता है।

(ii) नीति क्रियान्वयन इकाई का गठन: नयी नीति, 2022 के अंतर्गत बर्थिंग टर्मिनल, इन्लैण्ड वैसेल, कार्गो टर्मिनल तथा ट्रकर्स पार्क की परियोजनाओं के सम्यक क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु नीति क्रियान्वयन इकाई का निम्नवत् गठन किया जाता है -

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश	सदस्य
वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय	सदस्य
अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उत्तर प्रदेश	सदस्य
सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य/संयोजक
समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य

नीति क्रियान्वयन इकाई का कार्य- इस मानक संचालन प्रक्रिया के निर्गत होने की तिथि से प्रत्येक माह अथवा जैसा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा नियत किया जाए, नीति क्रियान्वयन इकाई की बैठक आहूत की जाएगी, जिसमें नई नीति, 2022 में नोडल एजेंसी-परिवहन विभाग से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही क्रियान्वयन में उत्पन्न हो रहे अवरोधों का समाधान संबंधित विभागों/संस्थाओं से समन्वय कर सुनिश्चित की जाएगी। क्रियान्वयन के संदर्भ में इस मानक संचालन प्रक्रिया के किसी प्राविधान/प्राविधानों में यदि कोई संशोधन/परिवर्तन आवश्यक हो,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

तो उन प्राविधानों में तदनुरूप संशोधन हेतु परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तावित करेगी।

## 5.2 मूल्यांकन समिति(Evaluation Committee)

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु उक्त नीति के प्रस्तर-10.1(ख)(3) के क्रम में बर्थिंग टर्मिनल, इन्लैण्ड वैसेल, कार्गो टर्मिनल तथा ट्रकर्स पार्क की स्थापना से संबंधित प्राप्त आवेदनों के परीक्षण/ मूल्यांकन हेतु 'मूल्यांकन समिति' गठित की जाती है, जिसका संघटन(Composition) निम्नवत् है :-

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0	सदस्य
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा	सदस्य
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण/भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि (सम्बन्धित परियोजना में जैसा लागू हो)	सदस्य
अपर महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन	सदस्य
अपर परिवहन आयुक्त(प्रशासन)	संयोजक/सदस्य
परियोजना से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
परियोजना से संबंधित जनपद के उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केन्द्र	सदस्य
परियोजना से संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य

**मूल्यांकन समिति का कार्य-** प्राप्त आवेदनों की पूर्णता एवं प्रासंगिकता का मूल्यांकन कर आवेदनों को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' निर्गत करने अथवा प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु प्रकरण के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुसार अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) के समक्ष मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

**5.3 थर्ड पार्टी का पैनल तैयार करना (Third Party Empanelment) :** नोडल एजेंसी परिवहन विभाग यथावश्यकता Chartered Accountant, इंजीनियर्स, Valuers, एवं विशेषज्ञ संस्थानों को थर्ड पार्टी सत्यापन हेतु सूचीबद्ध करेगा। थर्ड पार्टी सत्यापन हेतु संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केन्द्र/रेलवे/इन्डियन वाटरवेज अथारिटी के उपयुक्त अधिकारी का सहयोग भी लिया जा सकता है। नीति के तहत प्राप्त परियोजनाओं/प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा किए गए कार्यों का सत्यापन इन थर्ड पार्टी द्वारा करने के उपरांत स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

**5.4 अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee)(ईसी)**

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के अन्तर्गत रु 100.00.करोड़ तक के पूंजी निवेश वाली पात्र परियोजनाओं के लिए अधिकार प्राप्त समिति का संघटन(Composition) निम्नवत् गठित किया जाता है :-

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० अध्यक्ष  
शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव-आवास एवं शहरी नियोजन, सदस्य  
राजस्व, वित्त, विधि एवं न्याय, औद्योगिक विकास, नियोजन,  
ऊर्जा, एम०एस०एम०ई०, पर्यावरण, श्रम, कौशल विकास विभाग  
के द्वारा नामित विशेष सचिव स्तरीय अधिकारी

समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विभागों के प्रतिनिधि सदस्य

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश संयोजक/सदस्य

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू०पी०सी०डा० सदस्य

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी० सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नोट :- समिति की बैठक में आवेदक/उसके प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जायेगा। हालाँकि, आवेदक/प्रतिनिधि की गैर उपस्थिति अनुमोदन प्रक्रिया में बाधा नहीं होगी।

## 5.5 उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (High Level Empowered Committee)(एचएलईसी)

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 के अनुसार रू0 100.00 करोड़ से अधिक के पूँजी निवेश वाली पात्र परियोजनाओं के लिए मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाता है, जिसका संगठन (Composition) निम्नवत् है :-

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव-आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, वित्त, विधि एवं न्याय, औद्योगिक विकास, नियोजन, ऊर्जा, सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, पर्यावरण, श्रम, कौशल विकास, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन तथा लोक निर्माण विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0शासन	संयोजक/सदस्य
परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सदस्य
समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0सी0डा0	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0	सदस्य

## 5.6 अनुमोदन प्राधिकारी (यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, 10.2 (3) पृष्ठ 42/45)

ईसी/एचएलईसी (जो भी लागू हो) के अनुमोदन/स्वीकृति के बाद एलओसी जारी करने तथा परियोजना हेतु अनुमन्य प्रोत्साहनों का अन्तिम अनुमोदन निम्नवत् दिया जाएगा :-

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



- (a) रू0 100.00 करोड़ तक की पूँजी निवेश वाली परियोजनाएं : मा0 परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- (b) रू0 100.00 करोड़ से अधिक के पूँजी निवेश वाली परियोजनाएं : मा0 मंत्रि-परिषद।

## 6. आवेदन की प्रक्रिया

- (1) बर्थिंग टर्मिनल्स, इन्लैण्ड वैसेल, जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल्स/नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल्स तथा ट्रकर्स पार्क से संबंधित परियोजना हेतु एल.ओ.सी. तथा उपादान संवितरण के संबंध में पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जाएंगे। जिन आवेदकों को एल.ओ.सी. स्वीकृत की जा चुकी है, परियोजना के पूर्ण होने के तुरन्त बाद अथवा परियोजना संचालन होने के अधिकतम 03 माह के भीतर प्रोत्साहन लाभों हेतु उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) इस SOP के अधिसूचित होने के उपरान्त परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा सूचित तिथि से विभिन्न परियोजनाओं यथा- बर्थिंग टर्मिनल्स, इन्लैण्ड वैसेल, जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल्स/नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल्स तथा ट्रकर्स पार्क के लिए आवेदन आमंत्रण प्रारंभ किया जाएगा।
- (3) बर्थिंग टर्मिनल्स, इन्लैण्ड वैसेल एवं नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल्स तथा जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल (जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है), जिसमें नई नीति, 2022 के अन्तर्गत परियोजना की अधिकतम संख्या निर्धारित है, के लिए आवेदन आमंत्रण प्रारंभ होने की तिथि से 21वें दिवस अपरान्ह 4 बजे तक इच्छुक आवेदक द्वारा इस SOP में विहित व्यवस्था के अनुरूप अपना आवेदन मय सपोर्टिंग अभिलेख उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किये गये पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा उक्त आवेदन मय सपोर्टिंग अभिलेख सीलबंद लिफाफे में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को भी उपरोक्त नियत तिथि व समय में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) यदि किसी परियोजना हेतु नई नीति, 2022 में विहित अधिकतम संख्या की सीमा तक आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो अवशेष संख्या के लिए आवेदन आमंत्रण को नोडल अधिकारी- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त पुनः 21 दिवस हेतु खोला जाएगा। आवेदन आमंत्रण खोले जाने की यह व्यवस्था तब तक की जाएगी, जब तक नई नीति, 2022 में विहित अधिकतम संख्या की सीमा तक आवेदन प्राप्त नहीं हो जाते हैं।
- (5) जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल्स (जिनमें रेलवे से भूमि आवंटित की गयी हो) तथा ट्रकर्स पार्क के संदर्भ में नई नीति, 2022 में चूंकि कोई अधिकतम संख्या की सीमा का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निर्धारण नहीं है, अतः इन परियोजनाओं हेतु आवेदन आमंत्रण प्रारंभ होने की तिथि से नई नीति, 2022 की प्रभावी अवधि अर्थात् नीति अधिसूचित होने की तिथि दिनांक 28.12.2022 से 05 वर्ष अथवा जब तक प्रदेश सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन या निरसन नहीं किया जाता है, तक आवेदन स्वीकार किये जाएंगे। इच्छुक आवेदक द्वारा इस (SOP) में विहित व्यवस्था के अनुरूप अपना आवेदन मय सपोर्टिंग अभिलेख उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किये गये पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा उक्त आवेदन मय सपोर्टिंग अभिलेख सीलबंद लिफाफे में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को भी प्रस्तुत किया जाएगा।

- (6) एक जनपद में बर्थिंग टर्मिनल्स की अधिकतम 02 परियोजना तथा नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल्स एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, के लिए अधिकतम 03 परियोजना हेतु आवेदन स्वीकार किये जाएंगे। उच्च स्तरीय प्राधिकार समिति को नोडल एजेंसी की संस्तुति पर परियोजनाओं की अधिकतम संख्या में वृद्धि करने का अधिकार होगा।
- (7) प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा तथा मूल्यांकनोपरान्त यथास्थिति अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी), को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जायेगा
- (8) 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' जारी करने एवं प्रोत्साहन को अनुमन्य करने के लिए रू 0 100.00 करोड़ तक की पूंजी निवेश वाली पात्र परियोजनाओं के लिए अधिकार प्राप्त समिति(ईसी) एवं रू० 100.00 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश वाली पात्र परियोजनाओं के लिए उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति(एचएलईसी) से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा। अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन के बाद नोडल एजेंसी 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' जारी करेगी।

## 7. आवेदक की अर्हता एवं आवेदन का मूल्यांकन/अनुमोदन

- (1) आवेदक (विकासकर्ता/संचालक) उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विधिक इकाई होगा। (विधिक रूप से पंजीकरण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा)।
- (2) आवेदन की तिथि में आवेदक को केन्द्र सरकार/किसी राज्य सरकार/किसी सार्वजनिक उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं होने तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं किये जाने संबंधी शपथ-पत्र रू0 100/- के नॉन जूडिशियल स्टैंप पेपर पर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- (3) आवेदक का जी0एस0टी0 पंजीकरण उत्तर प्रदेश में होना अनिवार्य है (पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) आवेदक के पास Permanent Account Number (PAN) पंजीकरण होना अनिवार्य है (PAN की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा)।
- (5) जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल्स (जिनमें रेलवे से भूमि आवंटित की गयी हो) एवं इन्लैण्ड वैसेल की परियोजनाओं को छोड़कर, अन्य सभी परियोजनाओं यथा- बर्थिंग टर्मिनल, नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, तथा ट्रकर्स पार्क के लिए इस एसओपी के अनुलग्नक-6 पर दिये गये प्रारूप पर थर्ड पार्टी चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित निवेश ब्रेकअप प्रस्तुत करना होगा। जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल्स (जिनमें रेलवे से भूमि आवंटित की गयी हो) हेतु रेलवे द्वारा अनुमोदित डी0पी0आर0 में इंजीनियरिंग स्केल प्लान के अनुसार निवेश ब्रेकअप प्रस्तुत करना होगा।
- (6) सभी परियोजनाओं के लिए आवेदक को चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा सत्यापित वित्तीय स्रोतों का विवरण भी इस एसओपी के अनुलग्नक-7 पर दिये गये प्रारूप पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (7) सभी परियोजनाओं के लिए इस SOP के अनुलग्नक-1 पर दिये गये आवेदन प्रारूप पर आवेदन आवश्यक सपोर्टिंग अभिलेखों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (8) आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों पर फर्म/कंपनी आदि, जैसा लागू हो, के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। फर्म/कंपनी आदि द्वारा इस SOP के अनुलग्नक-2 पर दिये गये Power of Attorney प्रारूप पर अपने प्रतिनिधि को अधिकृत किया जाएगा।
- (9) आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवेदन शुल्क रू0 10,000/- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम बैंक ऑफ बडौदा, हजरतगंज शाखा के बैंक अकाउंट नम्बर- 98270200000001, IFSC Code-BARB0HAZARA में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा करना होगा तथा जमा का प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आवेदन शुल्क Non-Refundable होगा।
- (10) आवेदन के साथ आवेदक को धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में किसी राष्ट्रयुक्त अधिसूचित बैंक से बैंक गारण्टी अथवा एफ0डी0आर0 के रूप में प्रस्तुत करना होगा। ई0एम0डी0 की धनराशि परियोजनावार निम्नवत् होगी-
  - (क) कार्गो टर्मिनल/बर्थिंग टर्मिनल - रू0 20 (बीस) लाख।
  - (ख) ट्रकर्स पार्क/इन्लैण्ड वैसेल - रू0 5 (पांच) लाख।

नोट-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (i) ई0एम0डी0 की धनराशि Refundable होगी तथा परियोजना पूर्ण होने पर धनराशि वापस की जाएगी। यहां परियोजना पूर्ण होने का तात्पर्य वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से है।
- (ii) ई0एम0डी0 की अवधि पांच वर्ष अथवा परियोजना पूर्ण होने तक की होगी।
- (iii) ई0एम0डी0 पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- (iv) उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 तथा इस मानक संचालन प्रक्रिया में आवेदक से अपेक्षित कार्य को संतोषप्रद/समयबद्ध ढंग से पूर्ण न किये जाने अथवा नीति, 2022 व SOP के प्राविधानों के उल्लंघन किये जाने की स्थिति में ई0एम0डी0 की धनराशि को जब्त करने का अधिकार अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में निहित होगा।
- (v) जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल के निर्माण हेतु जिन आवेदकों को रेलवे से भूमि आवंटित की गयी हो, वैसे आवेदकों को ई0एम0डी0 की धनराशि जमा करने से छूट होगी।

(11) प्रोजेक्ट रिपोर्ट से सम्बन्धित विवरण :

11.1 लूप लाइन सहित नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है/बर्थिंग टर्मिनल/ट्रकर्स पार्क परियोजना हेतु आवेदक द्वारा आवेदन के समय Interim DPR (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें प्रमुखतः निम्न विवरण उल्लिखित किये जाएंगे-

- (i) परियोजना का कन्सेप्ट प्लान, ड्राइंग, स्केच एवं लेआउट।
- (ii) परियोजना साइट का लोकेशन, भूमि क्षेत्रफल, भूमि स्वामित्व की स्थिति, भूमि का प्रकार आदि।
- (iii) परियोजना लागत, जिसमें पूंजी/ऑपरेशन/मेन्टेनेंस लागत सम्मिलित होंगे, को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) कार्गो हैण्डलिंग का पूर्ण विवरण, जैसे प्लांट/मशीनरी/अर्थमूवर आदि, मैनपावर एवं अन्य अवस्थापना संबंधी आवश्यकता। (ट्रकर्स पार्क हेतु लागू नहीं)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (v) कार्गो हैण्डलिंग क्षमता (प्रति एकड़ मीट्रिक टन में)। (ट्रकर्स पार्क हेतु लागू नहीं)
- (vi) ट्रकर्स पार्क हेतु कुल ट्रक पार्क करने की क्षमता, मैनपावर एवं अन्य अवस्थापना संबंधी व्यवस्था।
- (vii) परियोजना की पूर्ण अवधि में परिसम्पत्ति की सुरक्षा (Safety) एवं रखरखाव (maintenance) संबंधी विवरण।

11.2 जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल (जिनमें रेलवे से भूमि आवंटित की गयी हो) की परियोजनाओं में रेलवे से अनुमोदित इन्जीनियरिंग स्केल प्लान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.3 इन्लैण्ड वैसेल (अंतर्देशीय जहाजों) के मामले में

- (i) यदि इन्लैण्ड वैसेल प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के आच्छादित क्षेत्र में संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रय किये जाने वाले इन्लैण्ड वैसेल का स्केच और लेआउट, प्रकृति (कार्गो/यात्री), भार क्षमता, इन्लैण्ड वैसेल की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी
- (ii) यदि इन्लैण्ड वैसेल प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के आच्छादित क्षेत्र में संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत किया गया है, तो पंजीकरण का प्रमाण पत्र भार क्षमता सहित प्रस्तुत करना होगा।

8- कार्गो टर्मिनल (जी0सी0टी0/नॉन जी0सी0टी0) हेतु आवेदन/मूल्यांकन/अनुमोदन सम्बन्धी प्राविधान-

8.1 प्रथम चरण :

- (i) नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश में पंजीकृत भारतीय रेलवे के अप्रूव्ड कन्सल्टेन्ट(जिनका जीएसटी पंजीकरण भी उत्तर प्रदेश में हो) से चिन्हित परियोजना भूमि की प्रि-फिज़िबिलिटी रिपोर्ट, कन्सल्टुअल प्लान व रेलवे प्रोजेक्ट कॉस्ट अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। इस रिपोर्ट में परियोजना भूमि के साथ-साथ रेलवे लूप लाइन हेतु चिन्हित भूमि की प्रि-फिज़िबिलिटी रिपोर्ट सम्मिलित होगी। इस रिपोर्ट में परियोजना का इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट भी शामिल करना होगा।
- (ii) जिस आवेदक को जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल हेतु रेलवे द्वारा भूमि टेण्डर के माध्यम से इस नीति, 2022 के जारी होने के उपरान्त उपलब्ध करायी गयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

हो, वैसे आवेदक द्वारा आवेदन के समय रेलवे से अनुमोदित इंजीनियरिंग स्केल प्लान एवं अन्य आवश्यक अभिलेख यथा- जी0एस0टी0, पैन, नॉन ब्लैकलिस्टिंग प्रमाण-पत्र आदि, जैसा कि इस SOP में आवेदक अर्हता के संदर्भ में प्राविधानित है, SOP में विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

## 8.2 द्वितीय चरण :

- (i) नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, के लिए आवेदन के साथ प्राप्त अंतरिम डी0पी0आर0 एवं प्रि-फिज़िबिलिटी रिपोर्ट का इन-प्रिन्सिपल अप्रूवल भारतीय रेलवे के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने हेतु उक्त रिपोर्ट को प्रेषित किया जाएगा।
- (ii) जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित की गयी है, के लिए आवेदन के साथ प्राप्त भारतीय रेलवे द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग स्केल प्लान को सत्यापन हेतु भारतीय रेलवे के सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

## 8.3 तृतीय चरण:

- (i) नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, के लिए भारतीय रेलवे से अंतरिम डी0पी0आर0 एवं प्रि-फिज़िबिलिटी रिपोर्ट का इन-प्रिन्सिपल अप्रूवल प्राप्त होने के उपरान्त उक्त रिपोर्ट का मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा मूल्यांकनोपरान्त लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत करने की तथा परियोजना हेतु भूमि के अधिग्रहण की अनुमति हेतु यथास्थिति अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
- (ii) जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित की गयी है, के लिए भारतीय रेलवे द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग स्केल प्लान का सत्यापन भारतीय रेलवे के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त होने के उपरान्त उक्त रिपोर्ट का मूल्यांकन करते हुए मूल्यांकनोपरान्त लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत करने की अनुमति हेतु यथास्थिति अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

## 8.4 चतुर्थ चरण:

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (i) नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, के लिए प्राप्त आवेदन का मूल्यांकनोपरान्त लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत करने की संस्तुति पर अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) द्वारा प्रदत्त अनुमोदन/ स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राधिकारी के अंतिम अनुमोदन के उपरान्त नोडल एजेंसी-परिवहन विभाग द्वारा आवेदक को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही परियोजना भूमि से संबंधित जिलाधिकारी को भूमि अधिग्रहण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को भूमि हस्तान्तरण की सूचना ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। अधिग्रहीत भूमि को संबंधित आवेदक को रजिस्टर्ड लीज़ द्वारा उसके नाम आवेदन में उल्लिखित रियायत अवधि के लिए हस्तान्तरित इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाएगा कि उक्त भूमि को उसके द्वारा किसी अन्य के नाम गिरवी/बंधक अथवा बिक्री अथवा कोई अन्य गैर कानूनी कार्य नहीं किया जाएगा।
- (ii) जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल्स जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित की गयी है, के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी, अतः अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) द्वारा प्रदत्त अनुमोदन/स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन के उपरान्त नोडल एजेंसी-परिवहन विभाग द्वारा आवेदक को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत करने की कार्यवाही की जाएगी। आवेदक को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किये जाने की सूचना ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

### 8.5 पंचम चरण:

- (i) नॉन जी0 सी0 टी0 कार्गो टर्मिनल एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत होने के बाद आवेदक द्वारा रेलवे गति-शक्ति नियमों के अन्तर्गत रेलवे या रेलवे अप्रूव्ड कन्सल्टेन्ट (जिनका पंजीकरण एवं जीएसटी पंजीकरण भी उत्तर प्रदेश में हो) से डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) व इंजीनियरिंग स्केल प्लान (ESP), लैण्ड लाइसेन्सिंग प्लान (LLP) डिटेल्ड स्टीमेट ट्रैक (Detailed estimates Track), सिग्नलिंग इन्टर लॉकिंग प्लान (SIP)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

डिटेल्ड स्टीमेट सिग्नलिंग (Detailed estimates signalling), डिटेल्ड स्टीमेट टेलीकॉम (Detailed estimates Telecom), इलेक्ट्रिकल ले-आउटप्लान (LOP), डिटेल्ड स्टीमेट ओ.एच.ई इलेक्ट्रिकल (Detailed Estimates OHE electrical), सेक्शनिंग डॉयग्राम (SD), डिटेल्ड स्टीमेट मैकेनिकल (Detailed estimates Mechanical), वॉयरिंग डॉयग्राम (WD), पावर सप्लाई डॉयग्राम (PSD), लांगीट्यूडनल सेक्शन (L-Section), क्रॉस सेक्शन (X-Section), डिटेल्ड स्टीमेट सिविल (Detailed Estimated Civil), फाइनल एलाइनमेंट प्लान(FAP), ब्रिज की जनरल अरेन्जमेंट ड्राइंग (GAD-Bridge), डिटेल्ड स्टीमेट ब्रिज (Detailed estimated Bridge), लेवल क्रॉसिंग की जनरल अरेन्जमेंट ड्राइंग (GAD-LC), डिटेल्ड स्टीमेट लेवल क्रॉसिंग (Detailed Estimated-LC) तथा अन्य रेलवे स्ट्रक्चरल ड्राइंग साइट की जरूरत के हिसाब से बनवायेगी व रेलवे से अनुमोदित करायेगी। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रोजेक्ट का सोशल एवं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी शामिल करना होगा। रेलवे से निर्माण की अनुमति भी प्राप्त करनी होगी।

- (ii) जी०सी०टी० कार्गो टर्मिनल (जिनमें रेलवे से भूमि आवंटित की गयी हो) हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक परियोजना को विकसित किये जाने से संबंधित निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगा।

## 8.6 छठा चरण:

- (i) नॉन जी०सी०टी० कार्गो टर्मिनल एवं जी०सी०टी० कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, हेतु रेलवे लूप लाइन का निर्माण रेलवे या उ०प्र० में पंजीकृत रेलवे अप्रूव्ड कन्सल्टेंट (जिनका जीएसटी पंजीकरण भी उत्तर प्रदेश में हो) द्वारा रेलवे नियमों के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर कराया जायेगा जिसका रिम्बर्समेंट परिवहन विभाग द्वारा रेलवे से परीक्षणोपरान्त बिल-टू-बिल आधार पर अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) द्वारा प्राप्त अनुमोदन/स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा। निर्माण की लागत रेलवे द्वारा अप्रूव्ड / वेटेड स्टीमेट्स को ही माना जायेगा। रेलवे लूप लाइन निर्माण के उपरान्त रेलवे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



द्वारा निरीक्षण कराकर साइडिंग की कमिश्रिंग आवेदक द्वारा कराई जायेगी। नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, की स्थापना एवं विकास भी नियमों के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर कराया जाएगा, जिसका पूंजीगत उपादान (Capital Subsidy) नई नीति, 2022 में विहित व्यवस्था के अनुरूप परिवहन विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) द्वारा प्रदत्त अनुमोदन/स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा। निर्माण की लागत अप्रूव्ड / वेटेड् स्टीमेट्स को ही माना जायेगा। निर्माण के उपरान्त यथावश्यकता Chartered Accountant / इंजीनियर्स/Valuer/ प्रासंगिक संस्थानों से किए गए कार्यों का सत्यापन करने के उपरांत स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

- (ii) जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल (जिनमें रेलवे से भूमि आवंटित की गयी हो) हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत होने के बाद रेलवे नियमों के अन्तर्गत लूप लाइन का निर्माण तथा कार्गो टर्मिनल का निर्माण आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर कराया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) द्वारा प्राप्त अनुमोदन/ स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन के उपरान्त केवल कार्गो टर्मिनल की स्थापना के लिए नियमानुसार कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी। लूप लाइन पर हुए व्यय का भुगतान परिवहन विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।

## 9. बर्थिंग टर्मिनल हेतु आवेदन/मूल्यांकन/अनुमोदन संबंधी प्रावधान

9.1 प्रथम चरण: बर्थिंग टर्मिनल के लिए चिन्हित परियोजना भूमि की चार्टर्ड अकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित Interim DPR (Detailed Project Report) की प्रि-फिज़िबिलिटी रिपोर्ट, कन्सप्युअल प्लान व प्रोजेक्ट कॉस्ट अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। इस रिपोर्ट में परियोजना का इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट भी शामिल करना होगा।

9.2 द्वितीय चरण: बर्थिंग टर्मिनल के लिए आवेदन के साथ प्राप्त अंतरिम डी0पी0आर0 एवं प्रि-फिज़िबिलिटी रिपोर्ट का इन-प्रिन्सिपल अप्रूवल भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने हेतु उक्त रिपोर्ट को प्रेषित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 9.3 **तृतीय चरण:** बर्थिंग टर्मिनल के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से अंतरिम डी0पी0आर0 एवं प्रि-फिज़िबिलिटी रिपोर्ट का इन-प्रिन्सिपल अप्रूवल प्राप्त होने के उपरान्त उक्त रिपोर्ट का मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा मूल्यांकनोपरान्त लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत करने की तथा परियोजना हेतु भूमि के अधिग्रहण की अनुमति हेतु यथास्थिति अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- 9.4 **चतुर्थ चरण:** बर्थिंग टर्मिनल के लिए प्राप्त आवेदन का मूल्यांकनोपरान्त लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत करने की संस्तुति पर अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) द्वारा प्रदत्त अनुमोदन/स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राधिकारी के अंतिम अनुमोदन के उपरान्त नोडल एजेंसी-परिवहन विभाग द्वारा आवेदक को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही परियोजना भूमि से संबंधित जिलाधिकारी को भूमि अधिग्रहण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को भूमि हस्तान्तरण की सूचना ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। अधिग्रहीत भूमि को संबंधित आवेदक को रजिस्टर्ड लीज़ द्वारा उसके नाम आवेदन में उल्लिखित रियायत अवधि के लिए हस्तान्तरित इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाएगा कि उक्त भूमि को उसके द्वारा किसी अन्य के नाम गिरवी/बंधक अथवा बिक्री अथवा कोई अन्य गैर कानूनी कार्य नहीं किया जाएगा।
- 9.5 **पंचम चरण:** बर्थिंग टर्मिनल हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत होने के बाद आवेदक द्वारा भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से अनुमोदित अंतरिम डी0पी0आर0 एवं प्रि-फिज़िबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा तथा उक्त पूर्ण किये गये निर्माण कार्य का अनुमोदन भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त किया जाएगा।
- 9.6 **छठा चरण:** बर्थिंग टर्मिनल की स्थापना एवं विकास भी नियमों के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर कराया जाएगा, जिसका पूंजीगत उपादान (Capital Subsidy) नई नीति, 2022 में विहित व्यवस्था के अनुरूप परिवहन विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) द्वारा प्राप्त अनुमोदन/स्वीकृति तथा अनुमोदन

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा। निर्माण की लागत अप्रूव्ड/वेटेड स्टीमेट्स को ही माना जायेगा। निर्माण के उपरान्त यथावश्यकता Chartered Account/ इंजीनियर्स/Valuer प्रासंगिक संस्थानों से किए गए कार्यों का सत्यापन करने के उपरांत स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

## 10. इन्लैण्ड वैसेल हेतु आवेदन/मूल्यांकन/अनुमोदन संबंधी प्रावधान

- 10.1 यदि इन्लैण्ड वैसेल प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के आच्छादित क्षेत्र में संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रय किये जाने वाले इन्लैण्ड वैसेल का स्केच और लेआउट, प्रकृति (कार्गो/यात्री), भार क्षमता, इन्लैण्ड वैसेल की सर्वेक्षण रिपोर्ट आवेदक द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत की जाएगी। मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न अभिलेखों का थर्ड पार्टी से सत्यापन कराने के उपरान्त लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत करने की संस्तुति अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) को की जाएगी। प्राप्त अनुमोदन/ स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राधिकारी के अंतिम अनुमोदन के उपरान्त नोडल एजेंसी-परिवहन विभाग द्वारा आवेदक को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत करने की कार्यवाही की जाएगी। तदुपरान्त आवेदक द्वारा इन्लैण्ड वैसेल का क्रय कर उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकरण कराया जाएगा।
- 10.2 यदि इन्लैण्ड वैसेल प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के आच्छादित क्षेत्र में संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत किया गया है, तो पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 10.3 क्रय किए गए उपरिवर्णित इन्लैण्ड वैसेल्स के लिए विनिर्माणकर्ताओं के माध्यम से 'क्रय उपादान' अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) द्वारा प्रदत्त अनुमोदन/ स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राधिकारी के अंतिम अनुमोदन के उपरान्त नोडल एजेंसी-परिवहन विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह उपादान वास्तविक क्रय लागत के 25 प्रतिशत की दर से प्रति पोत ₹5 करोड़ की अधिकतम सीमा के अधीन प्रदान किया जाएगा।
- 10.4 नीति की प्रभावी अवधि के दौरान क्रय किए गए प्रथम 10 अंतर्देशीय पोतों को प्रति इकाई अधिकतम 04 पोतों के क्रय की सीमा के अधीन उपादान प्रदान किया जाएगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## 11. ट्रकर्स पार्क हेतु आवेदन/मूल्यांकन/अनुमोदन संबंधी प्रावधान

- 11.1 पात्र ट्रकर्स पार्क परियोजना का अभिप्राय राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवेज/राज्य राजमार्गों अथवा अन्य प्रमुख फ्रेट मार्गों के दोनों ओर 02 किमी तक की दूरी तक न्यूनतम 10 एकड़ भूमि पर विकसित ट्रक ले-बे (Truck lay bay) एवं पार्किंग-सह-विश्राम स्थल से है। इन पार्कों में न्यूनतम 85 प्रतिशत स्थान पार्किंग हेतु तथा 15 प्रतिशत स्थान विश्राम एवं वाणिज्यिक गतिविधियों तथा अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए आरक्षित होना चाहिए।
- 11.2 प्रोत्साहन: पात्र ट्रकर्स पार्क के विकासकर्ताओं को वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के पूर्व नई नीति, 2022 के प्रस्तर-9.6.2 में विहित छूट/रियायतें अनुमन्य होंगी। ऐसी परियोजनाओं को प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल संस्था-परिवहन विभाग में पंजीकरण कराना होगा। उक्त नोडल संस्था द्वारा आवेदन पत्र की प्रासंगिकता एवं पूर्णता की पुष्टि करने के उपरांत एक यूनीक आईडी निर्गत की जाएगी। इस स्तर पर इन प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट अनिवार्य नहीं होगा। तथापि, अनुवर्ती चरण में आवेदकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त करना होगा।
- 11.3 ट्रकर्स पार्क परियोजना हेतु प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन करने के उपरान्त मूल्यांकन समिति द्वारा आवेदन को अनुमोदन हेतु अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) को प्रस्तुत की जाएगी। प्राप्त अनुमोदन/स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राधिकारी के अंतिम अनुमोदन के उपरान्त नोडल एजेंसी-परिवहन विभाग द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर से आवेदक को परिवहन विभाग में पंजीकरण हेतु पत्र निर्गत किया जाएगा।

## 12. अन्य नियम व शर्तें

- 12.1 यदि एलओसी निर्गत होने के बाद और परियोजना पूरा होने से पहले, परियोजना के मापदंडों में परिवर्तन, परियोजना की प्रकृति या परियोजना की लागत में परिवर्तन की आवश्यकता के दृष्टिगत कोई प्रस्ताव आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या दिया जाता है, तो मूल्यांकन समिति के परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव को प्रासंगिक एवं औचित्यपूर्ण पाने की दशा में अपनी संस्तुति सहित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अंतिम निर्णय के लिए ईसी / एचएलईसी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत प्रेषित किया जाएगा। ईसी/एचएलईसी के निर्णय के अनुरूप प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही आवेदक द्वारा की जाएगी।

- 12.2 परियोजना के वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने के 03 माह के भीतर आवेदक द्वारा पृथक संवितरण आवेदन पत्र (*Separate Disbursement Application Form*) अर्थात् इस SOP के अनुलग्नक-8 पर दिये गये प्रारूप पर उपादान (Subsidy) प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें इन्लैण्ड वैसेल के आवेदन भी सम्मिलित होंगे।
- 12.3 बर्थिंग टर्मिनल एवं कार्गो टर्मिनल हेतु उपादान को परियोजना के पूर्ण होने पर 3 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा। इन्लैण्ड वैसेल के लिए 'क्रय उपादान' वास्तविक क्रय लागत के 25 प्रतिशत की दर से प्रति पोत 5 करोड़ की अधिकतम सीमा के अधीन एक बारीय प्रदान किया जाएगा।
- 12.4 ट्रकर्स पार्क के आवेदकों के लिए नीति में केवल अग्रान्त उपादान (Front End Subsidy) का ही प्रावधान होने के कारण उनके लिए परियोजना के संचालन के पश्चात् उपादान के संबंध में अन्य कोई दावा नहीं बनता है। यद्यपि ऐसे आवेदक द्वारा भी परियोजना पूर्ण होने के तुरन्त बाद अथवा 03 माह के भीतर परियोजना संचालन की स्थिति से नोडल एजेंसी को अवगत कराया जाएगा।
- 12.5 आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इम्पैनेल्ड सी0ए0/इन्जीनियर्स/वैलुएटर्स के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा स्थलीय परीक्षण तथा भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। जी0सी0टी0/नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल्स, बर्थिंग टर्मिनल्स, इन्लैण्ड वैसेल अथवा ट्रकर्स पार्क, जैसा भी प्रकरण हो, भारतीय रेल, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथवा लोक निर्माण विभाग से समीक्षात्मक टिप्पणी प्राप्त की जाएगी।
- 12.6 नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को स्वीकृत प्रोत्साहन/लाभों की राशि के 1.00 (एक) प्रतिशत के बराबर प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत प्रोत्साहन राशि में से संवितरण के समय कटौती की जाएगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 12.7 नोडल एजेंसी वाणिज्यिक संचालन शुरू करने तथा निवेश के सत्यापन के बाद स्वीकृत प्रोत्साहन के संवितरण हेतु अनुमोदन प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उक्त लाभों का संवितरण करते हुए संबंधित विभागों को सूचित भी करेगी।
- 12.8 नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, एवं बर्थिंग टर्मिनल परियोजना में राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर परियोजना को पूर्ण कर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करना होगा। यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई परियोजना सुविधाएं विकसित नहीं की जाती हैं, तो विकासकर्ता द्वारा विलम्ब के कारणों/साक्ष्यों के साथ अवधि विस्तार के अनुरोध पर नोडल एजेंसी द्वारा 'अधिकार प्राप्त समिति' या 'उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति' से अनुमोदन प्राप्त करके अवधि के विस्तार पर विचार किया जाएगा।
- 12.9 जब विकासकर्ता/संचालक द्वारा भौतिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके/तथ्यों को छिपाकर या गलत दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करके प्रोत्साहन/छूट प्राप्त करना सिद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में विकासकर्ता/संचालक द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन/छूट की राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में प्रत्येक प्रोत्साहन/छूट प्राप्त करने की तिथि से वसूल किये जाने की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ वसूल किया जाएगा।
- 12.10 नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल्स एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, तथा बर्थिंग टर्मिनल्स हेतु विकासकर्ता को भूमि उपलब्ध कराने की तिथि से परियोजना की अवधि पूर्ण होने तक परियोजना की छमाही प्रगति रिपोर्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करनी होगी। जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल्स, इन्लैण्ड वैसेल्स तथा ट्रार्कर्स पार्क संबंधी परियोजना में विकासकर्ता/संचालक के द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से परियोजना की अवधि पूर्ण होने तक परियोजना की छमाही प्रगति रिपोर्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करनी होगी।
- 12.11 यदि परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित नीति क्रियान्वयन इकाई द्वारा इस (SOP) में किसी प्रकार का संशोधन प्रस्तावित किया जाता है, तो उक्त संशोधन परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से अनुमोदन के उपरान्त प्रभावी होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ऐसे समस्त संशोधन भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होंगे तथा नीति के अन्तर्गत पहले से प्रदत्त किसी भी लाभ/रियायत को कम नहीं करेंगे।

- 12.12 इस (SOP) की व्याख्या के लिए किसी भी स्पष्टता की आवश्यकता की स्थिति में नोडल एजेंसी से परामर्श किया जाएगा तथा नोडल एजेंसी की संस्तुतियों को अंतिम माना जाएगा।
- 12.13 नई नीति, 2022 के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, प्रदेश सरकार की किसी अन्य नीति/योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। यद्यपि, इस नीति में प्रदत्त समस्त प्रोत्साहन, भारत सरकार की किसी भी योजना/नीति के अन्तर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 12.14 नई नीति, 2022 के अन्तर्गत नोडल एजेंसी की संस्तुति पर उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा परियोजनाओं की अधिकतम संख्या में वृद्धि की जा सकती है।
- 12.15 उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी रूल्स-2022 के क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक विवादित मामले या स्पष्टीकरण परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किये जाएंगे। यदि विवाद अनसुलझा रहता है तो उसे अधिकार प्राप्त समिति/उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- 12.16 नई नीति, 2022 से संबंधित किसी भी विषय वस्तु को स्पष्ट करने और योजना में संशोधन करने की स्वीकृति का अधिकार, अधिकार प्राप्त समिति/उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के पास होगा।
- 12.17 यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, या भौतिक तथ्यों को छुपाने के आधार पर लाभ प्राप्त किए गए हैं, तो स्वीकृति पत्र/एलओसी रद्द कर दिया जाएगा, और आवेदक को जारी किए गए सभी लाभ वसूली योग्य हो जाएंगे।
- 12.18 लाभ की निर्धारित सीमा (मात्रा/अवधि), या नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर, लेटर ऑफ कम्फर्ट को स्वचालित (automatic) रूप से रद्द माना जाएगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

12.19 नोडल एजेंसी-परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकृत प्रतिनिधि आवेदक के प्रस्तावित परियोजना स्थल और कार्यालय का दौरा कर सकते हैं और योजना के संचालन के दौरान किसी भी समय अवलोकन/सत्यापन के लिए परियोजना से संबंधित रिकॉर्ड मांग सकते हैं। विकासकर्ता/संचालक ऐसी सभी यात्राओं की सुविधा/व्यवस्था करेगी जब भी इसकी आवश्यकता होगी।

### 13. चयन मानदंड

#### (1) कार्गो टर्मिनल-

- (i) नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, से संबंधित ऐसी परियोजना, जिसमें भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी हो, में प्रथम चरण में अधिकतम 25 ऐसी परियोजनाओं के विकास एवं संचालन हेतु बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (Build Own Operate Transfer BOOT) मॉडल पर अधिकतम 30 वर्षों की अवधि के लिए पीपीपी आधार पर प्रदान किया जाएगा। ऐसे टर्मिनल्स के विकासकर्ताओं के चयन हेतु निविदा मानदंड न्यूनतम रियायत अवधि पर आधारित होगा।
- (ii) एक जनपद में नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल्स एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, के लिए अधिकतम 03 परियोजना हेतु आवेदन स्वीकार किये जाएंगे।
- (iii) एक जनपद में एक ही स्थान (Location) के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने अथवा जनपद हेतु परियोजना की नियत अधिकतम सीमा से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने की दशा में निम्नानुसार वर्णित भारांक मॉडल (weighted marking model) के अनुसार चयन मानदण्ड निम्नवत् होगा-

क्रमांक	पैरामीटर	चयन का मानदण्ड	भारांक	प्राप्तांक
1	कन्सेशन अवधि	कन्सेशन अवधि कम होने पर भारांक	50	-
2	कार्गो हैण्डलिंग की क्षमता	कार्गो हैण्डलिंग की क्षमता अधिक होने पर भारांक (क्षमता-प्रति एकड़ मिट्रिक टन)	50	-
	कुल		100	-

नोट-

- (a) भारांक की गणना किये जाने हेतु सूत्र का निर्धारण पृथक से मूल्यांकन के समय परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



(b) अधिक प्राप्तांक वाला आवेदक चयन हेतु अर्ह होगा।

- (iv) जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल (जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित की गयी हो) हेतु रेलवे द्वारा अनुमोदित परियोजना ही चयन का मानदण्ड होगा, जिसका अग्रेतर अनुमोदन मूल्यांकन समिति की संस्तुति पर अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) द्वारा किया जाएगा।

## (2) बर्थिंग टर्मिनल-

- (i) वैसी परियोजना, जिसमें भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी हो, में प्रथम चरण में अधिकतम 06 ऐसी परियोजनाओं के विकास एवं संचालन के लिए बिल्ड-ओन-ऑपरेट- ट्रांसफर (Build Own Operate Transfer BOOT) मॉडल पर अधिकतम 30 वर्ष की अवधि हेतु सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर प्रदान किया जाएगा। ऐसे टर्मिनलों के विकासकर्ताओं के चयन के लिए निविदा मानदंड न्यूनतम रियायत अवधि पर आधारित होंगे।
- (ii) एक जनपद में बर्थिंग टर्मिनल की अधिकतम 02 परियोजना हेतु आवेदन स्वीकार किये जाएंगे।
- (iii) एक जनपद में एक ही स्थान (Location) के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने अथवा जनपद हेतु परियोजना की नियत अधिकतम सीमा से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने की दशा में निम्नानुसार वर्णित भारांक मॉडल (*weighted marking model*) के अनुसार चयन मानदण्ड निम्नवत् होगा-

क्रमांक	पैरामीटर	चयन का मानदण्ड	भारांक	प्राप्तांक
1	कन्सेशन अवधि	कन्सेशन अवधि कम होने पर भारांक	50	
2	कार्गो हैंडलिंग की क्षमता	कार्गो हैंडलिंग की क्षमता अधिक होने पर भारांक (क्षमता-प्रति एकड़ मिट्टिक टन)	50	-
	कुल		100	-

नोट-

- (a) भारांक की गणना किये जाने हेतु सूत्र का निर्धारण पृथक से मूल्यांकन के समय परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
- (b) अधिक प्राप्तांक वाला आवेदक चयन हेतु अर्ह होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3) इन्लैण्ड वैसेल - नीति की प्रभावी अवधि के दौरान क्रय किए गए प्रथम 10 अंतर्देशीय पोटों को प्रति इकाई अधिकतम 04 पोटों के क्रय की सीमा के अधीन उपादान प्रदान किया जाएगा। आवेदन आमंत्रण प्रारंभ होने की तिथि से प्रथम आगत प्रथम पावत (First Come First Serve) सिद्धांत पर आवेदक का चयन किया जाएगा।

(4) ट्रकर्स पार्क - सभी पात्र परियोजनाओं का चयन किया जाएगा।

**14. नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है तथा बर्थिंग टर्मिनल परियोजना संबंधी अन्य प्रावधान**

- (i) परियोजना की भूमि का स्वामित्व परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश का होगा। उक्त भूमि को आवेदक द्वारा किसी अन्य के नाम गिरवी/बंधक अथवा बिक्री अथवा कोई अन्य गैर कानूनी कार्य नहीं किया जाएगा। ऐसा करने की स्थिति में विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- (ii) परियोजना का नक्शा (Layout) संबंधित विभाग/विकास प्राधिकरण/पंचायत से आवेदक को पास कराना होगा। नोडल एजेंसी द्वारा यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- (iii) भूमि का अंश/भूमि, यदि वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, तो वन विभाग से एनओसी जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाएगा। आवेदक द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- (iv) भूमि पर यदि पेड़ हैं तो पेड़ों की कटाई अथवा स्थानान्तरण की लागत पूंजी लागत में नहीं जोड़ी जाएगी।
- (v) परियोजना स्थल तक 11 मीटर पहुंच मार्ग होगा। यदि पहुंच मार्ग नहीं है अथवा 11 मीटर का नहीं है तो नोडल एजेंसी द्वारा जिलाधिकारी को उक्त पहुंच मार्ग बनाने हेतु निर्देशित किया जाएगा तथा पहुंच मार्ग विकसित कराने हेतु यदि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है, तो जिलाधिकारी द्वारा उक्त भूमि को अधिग्रहीत कर पहुंच मार्ग विकसित कराया जाएगा।
- (vi) परियोजना स्थल तक डेडिकेटेड फीडर द्वारा 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन भी नोडल एजेंसी द्वारा संबंधित डिस्कॉम के माध्यम से कराया जाएगा, जिसका व्यय परिवहन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। परियोजना स्थल के भीतर बिजली का कार्य, ट्रान्सफार्मर आदि आवेदक द्वारा किया जाएगा।

**15. 12.5 एकड़ से अधिक भूमि क्रय हेतु नीतिगत प्रोत्साहन**

12.5 एकड़ से अधिक भूमि क्रय हेतु अनुमति: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (संशोधित) धारा 89(1) में यह प्रविधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य में 12.5 एकड़ से अधिक की कृषि भूमि धारित नहीं कर सकता है। यह प्रतिबंध कृषि भूमि रखने पर है,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जबकि कोई उद्योग वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स यूनिट स्थापित करने के लिए भूमि क्रय करना चाहता है न कि कृषि कार्य के लिए। यह प्रविधान 12.5 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले भागों के क्रय को प्रोत्साहित करता है, क्रेता पहले इसे गैर कृषि भूमि घोषित करवाता है और फिर आगे की क्रय प्रक्रिया सम्पन्न करता है। उद्योग द्वारा आवेदन करने पर यह अनुमति 45 दिनों में संबंधित प्राधिकारी (20 हेक्टेयर तक के लिये जिला मजिस्ट्रेट, 40 हेक्टेयर तक के लिये मण्डलायुक्त और 40 हेक्टेयर से अधिक के लिये राज्य सरकार) द्वारा प्रदान करने की व्यवस्था है। राजस्व विभाग की प्रचलित प्रक्रिया में क्रय के लिये प्रस्तावित गाटा नम्बरों/प्लॉट नम्बरों का उल्लेख करने के लिये भी कहा जाता है।

इस आवश्यकता को राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-04/2023/प्र.स.-46/एक-1-2023-रा.-1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा समाप्त किया जा चुका है। उक्त शासनादेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 से संबंधित परियोजनाओं के सहज संस्थापना हेतु निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 15.03.2023 में वर्णित प्राविधान उ0प्र0 वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 से आच्छादित पात्र परियोजनाओं के संबंध में भी लागू कराया जाएगा।

## 16. गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन

1. उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के प्रस्तर 8.1 के अनुसार समस्त पात्र परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा प्राप्त होगा। परिणामस्वरूप राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा नीति तथा संबंधित नियमावली को अंगीकृत करने के उपरान्त प्रदेश में इस प्रकार की समस्त पात्र लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए औद्योगिक भू- उपयोग एवं औद्योगिक एमएआर अनुमन्य होगा।
2. उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के प्रस्तर 8.2 के अनुसार कम प्रदूषण पद चिन्ह और अपशिष्ट उत्पादन वाले गोदामों और लॉजिस्टिक्स गतिविधि के लिए 'व्हाइट श्रेणी' अनुमन्य होगी।
3. सिंगल विंडो क्लियरेंस: राज्य सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों की स्थापना एवं संचालन हेतु निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किए जाने है।
4. 24x7 संचालन- तीन पालियों में महिलाओं को उनकी सहमति पर 24 घंटे x 7 दिन के प्रचालन की अनुमति दी जाए [सभी पालियों (रात्रि पाली सहित)] में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति दी जाय बशर्ते कि ऐसी महिला कर्मचारियों के लिए राज्य श्रम विभाग द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा, परिवहन और अन्य उपाय सुनिश्चित किए जाएं। (डब्ल्यूएलपी - 22, 8.2. पृष्ठ 16/45)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

17. परफार्मेंस बैंक गारण्टी: (नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, एवं बर्थिंग टर्मिनल हेतु)

- (i) परियोजना के कमिश्निंग के उपरान्त तथा संचालन के पूर्व आवेदक द्वारा कुल पात्र पूंजी निवेश (Eligible Capital Investment) का 5 प्रतिशत परफार्मेंस बैंक गारण्टी किसी राष्ट्रीयकृत अधिसूचित बैंक द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जारी, उपलब्ध करायी जाएगी।
- (ii) परफार्मेंस बैंक गारण्टी की अवधि परियोजना संचालन की पूर्ण रियायत अवधि होगी।
- (iii) परफार्मेंस बैंक गारण्टी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (iv) उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 तथा इस मानक संचालन प्रक्रिया में आवेदक से अपेक्षित कार्य को संतोषप्रद/समयबद्ध ढंग से पूर्ण न किये जाने अथवा नीति, 2022 व (SOP) के प्राविधानों के उल्लंघन किये जाने की स्थिति में परफार्मेंस बैंक गारण्टी की धनराशि को आंशिक या पूर्णरूपेण जब्त करने का अधिकार अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में निहित होगा।

18. नॉन जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल एवं जी0सी0टी0 कार्गो टर्मिनल जिसमें रेलवे द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी है, एवं बर्थिंग टर्मिनल से संबंधित परियोजना में भूमि सहित सम्पत्ति का राज्य सरकार को हस्तान्तरण:-

- (i) परियोजना अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर निर्मित परियोजना संबंधी समस्त अवस्थापना संपत्ति (प्लांट/मशीनरी/अर्थमूवर आदि) भूमि सहित परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश को चालू हालत में हस्तान्तरित की जाएगी। हस्तान्तरण के पूर्व परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संबंधित अवस्थापना संपत्तियों के भौतिक एवं परिचालनीय स्थिति का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। ऑडिट में इंगित कमियों को परियोजना संचालक/विकासकर्ता को समयबद्ध (अधिकतम तीन माह) सुधार करने हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा। समयबद्ध सुधार न किये जाने की स्थिति में परफार्मेंस बैंक गारण्टी से सुधार कार्य हेतु ऑडिट में इंगित धनराशि की कटौती की जाएगी।
- (ii) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर भूमि उपलब्ध कराये जाने की तिथि से 03 वर्ष के भीतर परियोजना संचालित न करने की दशा में विकसित की गयी परिसम्पत्तियों सहित परियोजना से आच्छादित समस्त भूमि राज्य सरकार द्वारा वापस ले ली जाएगी। यदि विकासकर्ता द्वारा परियोजना पर उसके स्तर से किये गये व्यय के संदर्भ में क्षतिपूर्ति का दावा किया जाता है तो क्षतिपूर्ति दावा का मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण कर दावा की वस्तुस्थिति के संदर्भ में की गयी संस्तुति के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्राप्त समिति (HLEC) द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अधिकार प्राप्त समिति (EC) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

19. न्यायिक क्षेत्राधिकार :- इस मानक संचालन प्रक्रिया से उत्पन्न कोई भी विवाद केवल लखनऊ स्थित अदालतों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
20. उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2022-के उपरोक्तानुसार दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

अनुलग्नक- 1

### APPLICATION FORM

To,

The Transport Commissioner,  
Transport Department, Government of Uttar Pradesh,  
Tehri Kothi, Mahatma Gandhi Marg,  
Lucknow (Uttar Pradesh) 226001.

**Reference: UP Warehousing and Logistics Policy 2022 as well as the SOP No.\_\_\_\_\_ dated\_\_\_\_\_ issued by Transport Department, Governemnt of Uttar Pradesh.**

Dear Sir,

1. I/We, the undersigned, offer our application in response to the aforesaid reference is as follows:

Description	Details to be written by the Applicant and necessary supporting documents to be attached wherever required as per SOP
1	2
Applicant Details	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Description	Details to be written by the Applicant and necessary supporting documents to be attached wherever required as per SOP
1	2
Name	
Registered address (in full)	
Constitution of the Firm/Concern (Individual/ Sole Proprietorship Firm/ Partnership Firm/ Co-operative Society/ Trust/ Company registered under Company Act/ NGO/ LLP/ Special Purpose Vehicle (SPV)	
Documents in support of Constitution of the Firm/Concern (Certificate of Incorporation of the company issued by Registrar of Companies and also attach copy of Company's Articles of Association as well as Memorandum of Association or copy of the Certificate of Incorporation of LLP issued by Registrar of Companies, and also self-certified copy of deed of LLP duly uploaded on the MCA (Ministry of Corporate Affairs) website or Copy of Registration Certificate of Partnership registered under the Partnership Act 1932 and self-certified copy of all partnership deeds or copy of the original Certificate of Incorporation or Copy of the original Certificate of Shop & Establishment Act or Copy of the original Registration of Udyam Aadhar	
Date and Year of Incorporation/ Registration of the Firm/Concern	
Principal place of business	
Telephone number and mobile number	

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Description	Details to be written by the Applicant and necessary supporting documents to be attached wherever required as per SOP
1	2
Fax number	
GST Number (Copy of GST Registration)	
PAN (Copy of PAN Card)	
<b>Authorized signatory for this Application</b> Name Designation Email Mobile number Landline number Aadhar number (self-attested copy of Aadhar)	
The Applicant shall not be under ban or debarment or blacklisting by GoUP or any other Ministry/ Department of the Govt. of India/ State Govt./ PSUs and not convicted by any competent court on the date of submission of this application.	
Proof of EMD Payment (details of BG/FDR)	
Proof of Application Fee Payment (UTR No./Date shall be quoted and the receipt of NEFT/RTGS transaction shall be submitted with the Application)	
Nature of Project (Berthing Terminal/ Inland Vessel/ Cargo Terminal/Trucker's park)	
<b>Location of proposed project (in case of Berthing Terminal / Cargo (GCT with Railway land as well as GCT without Railway land and</b>	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Description	Details to be written by the Applicant and necessary supporting documents to be attached wherever required as per SOP
1	2
<p><b>Non-GCT) Terminal/ Trucker's park)</b></p> <p>Name of the project</p> <p>Complete Address</p> <p>Width of Approach Road</p> <p>Village/Block/Town/City</p> <p>Police Station</p> <p>Sub-Division</p> <p>Latitude &amp; Longitude</p> <p>District</p> <p>Area of the Project Land</p> <p>Layout of the Project Land</p> <p>Nature of Project Land (agricultural/ commercial/ forest land/ government land/ gram sabha land / railway land etc.)</p>	
<p><b>Estimated Project Cost (in INR Crore)</b></p> <p>Capital Expenditure excluding land cost</p> <p>Operational &amp; Maintenance cost of the project</p> <p>Any other cost</p>	
<p><b>Interim Detailed Project Report (DPR) as per SOP (in case of Berthing Terminal / Non-GCT Cargo Terminal/ GCT terminal without Railway land/Trucker's park)</b></p> <p>Pre-feasibility report of Project</p> <p>Concept Plan</p> <p>Project Cost bifurcation</p>	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



Description	Details to be written by the Applicant and necessary supporting documents to be attached wherever required as per SOP
1	2
Means and Source of Finance	
In case of GCT Cargo Terminals, Details of Railway approved DPR on the basis of engineering scale plan	
In case of Inland Vessels: (a) if vessel(s) is/are not registered in Uttar Pradesh, then drawing sketch and layout of inland vessel, nature of vessel (cargo/passenger), load capacity, survey report of inland vessel (b) if vessel(s) is/are registered in Uttar Pradesh, then the certificate of registration	

2. I/We declare that:

- (a) I/We, do hereby solemnly state that I have been authorized to file the application for \_\_\_\_\_ (Name of the project) under U.P. Warehousing and Logistics Policy 2022.
- (b) I/We, do hereby affirm that all statutory Regulatory approval/Regulatory Clearances required for setting up/operation of my unit shall be obtained/have been obtained.
- (c) I/We, do hereby affirm that the particulars given in the application are correct. In case any of the statement/information furnished in the application/documents later found to be wrong or incorrect or misleading, I do hereby undertake to refund the entire amount of benefit granted to me along with compound rate of interest @12% per annum, besides facing legal action in case facts contained in this application are proved to be wrong at the time of verification/checking or otherwise at any stage.
- (d) I/We hereby declare that I/We have submitted Earnest Money Deposit and Application Fee of requisite value in the form and manner as specified in the SOP.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (e) I/We agree and understand that the Application is subject to the provisions of the Application documents. In no case, I/we shall have any claim or right of whatsoever nature if the Project is not awarded to me/us.
- (f) I/We agree and undertake to abide by all the terms and conditions of the UP Warehousing and Logistics Policy 2022 as well as the aforesaid SOP issued by Transport Department, Government of Uttar Pradesh.
3. In witness thereof, I/we submit this Application under and in accordance with the terms of the **UP Warehousing and Logistics Policy 2022 as well as the aforesaid SOP issued by Transport Department, Government of Uttar Pradesh.**

Yours sincerely,

Authorized Signature [In full]:

Name of Signatory:

Designation of Signatory:

Name of the Company:

Address of the Company:

Seal of the Company:

Date:

अनुलग्नक- 2

### **POWER OF ATTORNEY (POA)**

**(Duly notarized on non-judicial stamp paper of value Rs.100/-)**

**Reference: UP Warehousing and Logistics Policy 2022 as well as the SOP No.\_\_\_\_\_ dated\_\_\_\_\_ issued by Transport Department, Uttar Pradesh.**

**Name of the Project: Berthing Terminal/ Inland Vessel/ Cargo Terminal/Trucker's park**

Know all men by these present, I/We ..... (*Name of the person(s) and designation*) ....., (*name of the Company and address of the registered office*) do hereby irrevocably constitute, nominate, appoint and authorize Mr./Ms..... (name), ..... son/daughter/wife of .....and presently residing at ....., who is presently employed with us and holding the position of ....., as our true and lawful attorney (hereinafter referred to as the "**Attorney**") to do in our name and

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

on our behalf, all such acts, deeds and things as are necessary or required in connection with or incidental to submission of our application in response to **UP Warehousing and Logistics Policy 2022 as well as the SOP No.\_\_\_\_\_ dated\_\_\_\_\_ issued by Transport Department, Uttar Pradesh** including but not limited to signing and submission of application and other documents and writings, providing information/responses to the Nodal Agency, representing us in all matters in connection with or relating to or arising out of our Application for the said Project and/or upon award thereof to us and/or till the concession period of the project.

AND we hereby agree to ratify and confirm all acts, deeds and things done or caused to be done by our said Attorney pursuant to and in exercise of the powers conferred by this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our said Attorney in exercise of the powers hereby conferred shall and shall always be deemed to have been done by us.

Signature of attorney is attested below:

IN WITNESS WHEREOF WE, ....., THE ABOVE NAMED PRINCIPAL HAVE EXECUTED THIS POWER OF ATTORNEY ON THIS ..... DAY OF ....., 20.....

(Signature)

Name:

Designation:

Address:

Witnesses:

- 1.
- 2.

**अनुलग्नक- 3**

## **DECLARATION REGARDING BLACKLISTING/NON-BLACKLISTING**

(TO BE EXECUTED ON RS. 100/- STAMP PAPER & ATTESTED BY PUBLIC NOTARY/EXECUTIVE MAGISTRATE BY THE APPLICANT)

**Date:**

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**To**

The Transport Commissioner,  
Transport Department, Government of Uttar Pradesh,  
Tehri Kothi, Mahatma Gandhi Marg,  
Lucknow (Uttar Pradesh) 226001.

**Ref: SOP No..... dated: .....** issued by Transport Department, Uttar Pradesh

I/We hereby declare and undertake as follows that:

My/Our Company and its MD/CEO/Partners shall not be under ban or debarment or blacklisting by GoUP or any other Ministry/ Department of the Govt. of India/ State Govt./ PSUs and not convicted by any competent court on the date of submission of this application.

Yours sincerely,

Authorized Signature [In full]:

Name of Signatory:

Designation of Signatory:

Name of the Company:

Address of the Company:

Seal of the Company:

Date:

**अनुलग्नक - 4**

PERFORMA FOR BANK GUARANTEE FOR EMD

**Reference: UP Warehousing and Logistics Policy 2022 as well as the SOP No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ issued by Transport Department, Uttar Pradesh.**

**Name of the Project: Berthing Terminal/ Inland Vessel/ Cargo Terminal/Trucker's park**

**WHEREAS** - The Transport Department, Government of Uttar Pradesh through its representative Transport Commissioner, Uttar Pradesh, Tehri Kothi, M G Marg,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Lucknow 226001 (hereinafter referred to as “**The Department**” which expression shall unless repugnant to the context includes its legal representatives, successors and assigns), has issued aforesaid SOP dated and [*insert name and address of the Applicant*] ..... (hereinafter referred to as the “**Applicant**” which expression shall unless repugnant to the context include its legal representatives, successors and permitted assigns) for the performance, execution and implementation of the Works as specified and based on the terms & conditions set out in the aforementioned UP Warehousing and Logistics Policy 2022 as well as the SOP No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ issued by Transport Department, Uttar Pradesh.

**AND WHEREAS** as per the requirement of the SOP, the Applicant shall have to submit to the Department a Bank Guarantee from a Nationalized/Scheduled bank of India having a branch at Lucknow for an amount of Rs. \_\_\_\_\_ Only [hereinafter be referred to as the “**Guaranteed Amount**”]. This bank guarantee shall be valid for the **period of three years from the date of issuance of this bank guarantee.**

**AND WHEREAS** the Applicant has approached [*insert the name of the scheduled bank*] (here in after referred to as the “**Bank**”) having its registered office at [*insert the address*] ..... and at the request of the Applicant and in consideration of the promises made by the Applicant, the Bank has agreed to give such guarantee as hereunder:-

- (i) The Bank hereby undertakes to pay under this guarantee, the Guaranteed Amount claimed by the Department without any further proof or conditions and without demur, reservation, contest, recourse or protest and without any enquiry or notification to the Applicant merely on a demand from the Department stating that the amount claimed is due to the Department under the SOP. Any such demand made on the Bank by the Department shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this bank guarantee and the Bank shall pay without any deductions or set-offs or counterclaims whatsoever, the total sum claimed by the Department in such Demand. The Department shall have the right to make an unlimited number of Demands under this bank guarantee provided that the aggregate of all sums paid to the Department by the Bank under this bank guarantee shall not exceed the Guaranteed Amount.
- (ii) However, the Bank’s liability under this bank guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rupees “**Guaranteed Amount**”.
- (iii) The Department will have the full liberty without reference to the Bank and without affecting the bank guarantee to postpone for any time or from time to

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

time the exercise of any powers and rights conferred on the Department as per the said SOP and to enforce or to forbear endorsing any powers or rights or by reasons of time being given to the Applicant which under law relating the Surety would but for the provisions have the effect of releasing the surety.

- (iv) The rights of the Department to recover the Guaranteed Amount from the Bank in the manner aforesaid will not be affected or suspended by reasons of the fact that any dispute or disputes have been raised by the Applicant and/or that any dispute(s) are pending before any office, tribunal or court in respect of such Guaranteed Amount.
- (v) The guarantee herein contained shall not be affected by the liquidation or winding up, dissolution, change of constitution or insolvency of the Applicant but shall in all respects and for all purposes be binding and operative until payment of all money due to the Department in respect of such liability or liabilities is affected.
- (vi) This bank guarantee shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of India and the parties to this bank guarantee hereby submit to the jurisdiction of the Courts of Uttar Pradesh at Lucknow for the purposes of settling any disputes or differences which may arise out of or in connection with this bank guarantee and for the purposes of enforcement under this bank guarantee.
- (vii) All capitalized words used but not defined herein shall have the meanings assigned to them under the said SOP.

NOTWITHSTANDING anything stated above, the liability of the Bank under this bank guarantee is restricted to the Guaranteed Amount and this bank guarantee shall expire on the completion of one year from the date of issuance of this bank guarantee. Unless a Demand under this bank guarantee is filed against the Bank within six months from the date of expiry of this bank guarantee, all the rights of the Department under this bank guarantee shall be forfeited and the Bank shall be relieved and discharged from all liabilities hereunder. However, if the Applicant's obligations against which this bank guarantee is given, are not completed or fully performed by the Applicant within the period prescribed under the Contract, the Bank hereby agrees to further extend the bank guarantee for further periods of six months each till the Applicant fulfils its obligations under the SOP.

I/We have the power to issue this bank guarantee in your favor under Memorandum and Articles of Association and the Undersigned has full power to do so under the Power of Attorney dated [*date of power of attorney to be inserted*] ..... granted to him by the Bank.

Any payment made hereunder shall be free and clear of and without deduction for or on account of taxes, levies, imports, charges, duties, fees, deductions or withholding of any nature imposts.

**Bank Guarantee Number: .....**      **Date of Issue:**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

.....

Signature of Authorized Signatory

Name

Designation

Date:

Corporate Seal of the Bank

Important Instruction: The BG is to be signed by official(s) duly authorized to sign on behalf of the Bank.

**अनुलग्नक - 5**

PERFORMA FOR PERFORMANCE BANK GUARANTEE

**Reference: UP Warehousing and Logistics Policy 2022 as well as the SOP No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ issued by Transport Department, Uttar Pradesh.**

**Name of the Project: Berthing Terminal/ Inland Vessel/ Cargo Terminal/Trucker's park**

**WHEREAS** - The Transport Department, Government of Uttar Pradesh through its representative Transport Commissioner, Uttar Pradesh, Tehri Kothi, M G Marg, Lucknow 226001 (hereinafter referred to as "**The Department**") which expression shall unless repugnant to the context includes its legal representatives, successors and assigns), has issued aforesaid SOP dated and [*insert name and address of the Applicant*] ..... (hereinafter referred to as the "**Applicant**") which expression shall unless repugnant to the context include its legal representatives, successors and permitted assigns) for the performance, execution and implementation of the Works as specified and based on the terms & conditions set out in the aforementioned UP Warehousing and Logistics Policy 2022 as well as the SOP No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ issued by Transport Department, Uttar Pradesh.

**AND WHEREAS** as per the requirement of the SOP, the Applicant shall have to submit to the Department a Bank Guarantee from a Nationalized/Scheduled bank of India having a branch at Lucknow for an amount of Rs. \_\_\_\_\_ Only [hereinafter be referred to as the "**Guaranteed Amount**"]. This bank guarantee shall be valid for the **complete concession period i.e..... years from the date of issuance of this bank guarantee.**

**AND WHEREAS** the Applicant has approached [*insert the name of the scheduled bank*] (here in after referred to as the "**Bank**") having its registered office at [*insert the*

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

address] ..... and at the request of the Applicant and in consideration of the promises made by the Applicant, the Bank has agreed to give such guarantee as hereunder:-

- (i) The Bank hereby undertakes to pay under this guarantee, the Guaranteed Amount claimed by the Department without any further proof or conditions and without demur, reservation, contest, recourse or protest and without any enquiry or notification to the Applicant merely on a demand from the Department stating that the amount claimed is due to the Department under the SOP. Any such demand made on the Bank by the Department shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this bank guarantee and the Bank shall pay without any deductions or set-offs or counterclaims whatsoever, the total sum claimed by the Department in such Demand. The Department shall have the right to make an unlimited number of Demands under this bank guarantee provided that the aggregate of all sums paid to the Department by the Bank under this bank guarantee shall not exceed the Guaranteed Amount.
- (ii) However, the Bank's liability under this bank guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rupees "**Guaranteed Amount**".
- (iii) The Department will have the full liberty without reference to the Bank and without affecting the bank guarantee to postpone for any time or from time to time the exercise of any powers and rights conferred on the Department as per the said SOP and to enforce or to forbear endorsing any powers or rights or by reasons of time being given to the Applicant which under law relating the Surety would but for the provisions have the effect of releasing the surety.
- (iv) The rights of the Department to recover the Guaranteed Amount from the Bank in the manner aforesaid will not be affected or suspended by reasons of the fact that any dispute or disputes have been raised by the Applicant and/or that any dispute(s) are pending before any office, tribunal or court in respect of such Guaranteed Amount.
- (v) The guarantee herein contained shall not be affected by the liquidation or winding up, dissolution, change of constitution or insolvency of the Applicant but shall in all respects and for all purposes be binding and operative until payment of all money due to the Department in respect of such liability or liabilities is affected.
- (vi) This bank guarantee shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of India and the parties to this bank guarantee hereby submit to the jurisdiction of the Courts of Uttar Pradesh at Lucknow for the

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



purposes of settling any disputes or differences which may arise out of or in connection with this bank guarantee and for the purposes of enforcement under this bank guarantee.

- (vii) All capitalized words used but not defined herein shall have the meanings assigned to them under the said SOP.

NOTWITHSTANDING anything stated above, the liability of the Bank under this bank guarantee is restricted to the Guaranteed Amount and this bank guarantee shall expire on the completion of one year from the date of issuance of this bank guarantee. Unless a Demand under this bank guarantee is filed against the Bank within six months from the date of expiry of this bank guarantee, all the rights of the Department under this bank guarantee shall be forfeited and the Bank shall be relieved and discharged from all liabilities hereunder. However, if the Applicant's obligations against which this bank guarantee is given, are not completed or fully performed by the Applicant within the period prescribed under the Contract, the Bank hereby agrees to further extend the bank guarantee for further periods of six months each till the Applicant fulfils its obligations under the SOP.

I/We have the power to issue this bank guarantee in your favor under Memorandum and Articles of Association and the Undersigned has full power to do so under the Power of Attorney dated [*date of power of attorney to be inserted*] ..... granted to him by the Bank.

Any payment made hereunder shall be free and clear of and without deduction for or on account of taxes, levies, imports, charges, duties, fees, deductions or withholding of any nature imposts.

**Bank Guarantee Number:** ..... **Date of Issue:**  
.....

Signature of Authorized Signatory  
Name  
Designation  
Date:  
Corporate Seal of the Bank

**Important Instruction: The PBG is to be signed by official(s) duly authorized to sign on behalf of the Bank.**

अनुलग्नक - 6

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**Format for CA/Statutory Auditors Certificate (with membership no. of CA on their letter head) for Proposed/Actual Fixed Capital Investment made by the Company in the Project Break-up of Cost of Project- Investment Details**

M/s.....  
(Rupees in Crores)

S.no	Particulars	Proposed Investment in the project (As per DPR)	Indicate First Date of Investment and Total Amount invested from first date of investment till date of application	Break up of Investment already made till date of application		Investment yet to be made
				Indicate amount invested from first date of investment till 27.12.2022	Indicate amount invested from 28.12.2022 till date of application	
1	2	3(5+6+7)	4	5	6	7
1	Land Cost (Actual price/allotment price)					
2	Stamp Duty					
3	Registration fees					
4	Building Cost					

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5	Other construction cost		DD/MM/YYYY Y <Total Value>			
6	Plant & Machinery					
7	Cost of developing infrastructure facilities					
8	Any other cost (with details)					
	Total (1 to 8)					

Signature of CA/SA:

Name of CA/SA:

Membership No:

Seal:

Date:

UDIN No:

अनुलग्नक - 7

Format for CA/Statutory Auditors Certificate (with membership no. of CA on their letter head) for Sources of Investment made by the Company in the proposed Project Investment Details

M/s.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(Rupees in Crores)

S.no	Particulars	Proposed Investment in the project(As per DPR)	Indicate First Date of Investment and Total Amount invested from first date of investment till date of application	Break up of Investment already made till date of application		Investment yet to be made
				Indicate amount invested from first date of investment till 27.12.2022	Indicate amount invested from 28.12.2022 till date of application	
1	2	3 (5+6+7)	4	5	6	7
<b>A) Equity</b>						
1	Equity Share Capital		DD/MM/YYYY Y			
2	Internal Cash Accruals					
3	Interest Free Unsecured Loans					
4	Security Deposit					
5	Advances from Dealers					
6	Other, if					

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	any		<Total Value>			
<b>B) Loans</b>						
1	From FI's					
2	From Bank					
3	Other, If any					
<b>Total(A+B)</b>						

Signature of CA/SA:

Name of CA/SA:

Membership No:

Seal:

Date:

UDIN No:

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**APPLICATION FORM FOR SUBSIDY DISBURSEMENT**

To,

The Transport Commissioner,  
Transport Department, Government of Uttar Pradesh,  
Tehri Kothi, Mahatma Gandhi Marg,  
Lucknow (Uttar Pradesh) 226001.

**Reference: UP Warehousing and Logistics Policy 2022 as well as the SOP No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ issued by Transport Department, Government of Uttar Pradesh.**

Dear Sir,

1. I/We, the undersigned, offer our application in response to the aforesaid reference is as follows:

Description	Details to be written by the Applicant and necessary supporting documents to be attached wherever required as per SOP
<b>Applicant Details</b>	
Name	
Registered address (in full)	
Telephone No/Mobile No.	
Firm No.	
GST Number (Copy of GST Registration)	
PAN (Copy of PAN Card)	
<b>Project Detail</b>	
Name of Project	
Complete Address	
District	
Letter of Comfort(if any issued)	
Issuance no	
Date	
<b>Project Cost(INR in crores)</b>	

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Description	Details to be written by the Applicant and necessary supporting documents to be attached wherever required as per SOP
Total Capital expenditure (Detail to be attach in separate sheet) duly certified by CA with UDIN No.	
Eligible Capital expenditure, as per UPWLP, 2022 (Detail to be attach in separate sheet) duly certified by CA with UDIN No.	
Subsidy Claim Amount (INR in crores)	

2. I/We declare that:

(a) I/We, do hereby solemnly state that I have been authorized to file the application for subsidy disbursement for the \_\_\_\_\_ (Name of the project) under U.P. Warehousing and Logistics Policy 2022.

(b) I/We hereby affirm that I/We have not claimed and received any subsidy or incentives in any form for the said project from any Department/PSU's of Government of Uttar Pradesh under any other policy/scheme.

(c) I/We hereby affirm that I/We have claimed and received Rs \_\_\_\_\_ as subsidy/ incentive for the said project from Department/PSU \_\_\_\_\_ of Government of India under Policies/Scheme \_\_\_\_\_

Note: If not received any subsidy/incentives from any Department/PSU of Government of India, then submit affirmation that I/We have not received any subsidy or incentives in any form for the said project from any Department/PSU's of Government of India under any other policy/scheme.

(d) I do hereby affirm that the particulars given in the application are correct. In case any of the statement/information furnished in the application/documents later found to be wrong or incorrect or misleading, I do hereby undertake to refund the entire amount of benefit granted to me along with compound rate of interest @12% per annum, besides facing legal action in case facts contained in this application are proved to be wrong at the time of verification/checking or otherwise at any stage.

(e) I/We agree and undertake to abide by all the terms and conditions of the UP Warehousing and Logistics Policy 2022 as well as the aforesaid SOP issued by Transport Department, Government of Uttar Pradesh.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. In witness thereof, I/we submit this Application under and in accordance with the terms of the **UP Warehousing and Logistics Policy 2022** as well as the **aforesaid SOP issued by Transport Department, Government of Uttar Pradesh.**

Yours sincerely,

Authorized Signature [In full]:

Name of Signatory:

Designation of Signatory:

Name of the Company:

Address of the Company:

Seal of the Company:

Date:

4- कृपया तदनुसार “उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022” के परिवहन विभाग से सम्बन्धित प्राविधानों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू  
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
- 5- औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह  
विशेष सचिव